सशक्त पंचायत सतत विकास

# संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

## केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा/ ढांचा

(वर्ष 2022-23 से 2025-26)

सशक्त पंचायत सतत विकास

## विषयसूची


| क्र.सं | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | योजना का औचित्य | |
| 2. | संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्य, कवरेज, फोकस क्षेत्र और अपेक्षित परिणाम | |
| 3. | पंचायत संसाधन और पंचायत विकास योजना (पीडीपी) | |
| 4. | समुदाय आधारित संगठन और पंचायतें | |
| 5. | *संशोधित आरजीएसए के तहत* फंडिंग पैटर्न और फंड जारी करना | |
| 6. | आरजीएसए के तहत धन प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें | |
| 7. | राष्ट्रीय/केंद्रीय घटक | |
| 8. | राज्य घटक | |
| 9. | संशोधित आरजीएसए के तहत लागत मानदंड | |
| | **अनुबंध** | |
| I | संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन | |
| II | विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति के लिए 26 मंत्रालयों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प | |
| III | ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने में सहभागिता के लिए पीआरआई-एसएचजी अभिसरण | |
| IV | ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए परामर्शिका | |
| V | नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए परामर्शिका | |
| VI | 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग के लिए दिशानिर्देश | |
| VII | विभिन्न स्तरों पर पीएमयू की सांकेतिक /व्यापक जिम्मेदारियां | |

सशक्त पंचायत सतत विकास

## संक्षिप्त रूप

| | | |
|---|---|---|
| 3Fs | : | फंड, कार्य, कर्मी |
| एएपी | : | वार्षिक कार्य योजना |
| एटीआर | : | अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट |
| बीसीसी | : | व्यवहार परिवर्तन अभियान |
| बीपीडीपी | : | प्रखंड पंचायत विकास योजना |
| सीबीसी | : | क्षमता निर्माण आयोग |
| सीबी एंड टी | : | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण |
| सीबीओ | : | समुदाय आधारित संगठन |
| सीईसी | : | केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति |
| सीएफसी | : | केंद्रीय वित्त आयोग |
| सी पी आर | : | सामान्य संपत्ति संसाधन |
| सीएससी | : | सार्वजनिक सेवा केंद्र |
| डीडीयूजीकेवाई | : | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना |
| डीडीयूपीएसपी | : | दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार |
| डीपीसी | : | जिला योजना समिति |
| डीपीआरसी | : | जिला पंचायत संसाधन केंद्र |
| डीपीडीपी | : | जिला पंचायत विकास योजना |
| ईएफटी | : | इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर |
| ईआर | : | निर्वाचित प्रतिनिधि |
| एफएफसी | : | चौदहवां वित्त आयोग/ पन्द्रहवां वित्त आयोग |
| जीएफआर | : | सामान्य वित्तीय नियम |
| जीओआई | : | भारत सरकार |
| जीपीडीपी | : | ग्राम पंचायत विकास योजना |

| | | |
|---|---|---|
| जीपी | : | ग्राम पंचायतें |
| मानव संसाधन | : | मानवीय संसाधन |
| आईसीटी | : | सूचना एवं संचार तकनीक |
| आईपी | : | इंटरनेट प्रोटोकॉल |
| जेएफएमसी | : | संयुक्त वन प्रबंधन समितियां |
| एलजीडी | : | स्थानीय सरकार निर्देशिका |
| एलएसडीजी | : | सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण |
| एलएसजी | : | स्थानीय स्वशासन |
| एमआईएस | : | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एमएमपी | : | मिशन मोड परियोजना |
| एमओएचएफडब्ल्यू | : | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय |
| एमओएचआरडी | : | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| एमओपीआर | : | पंचायती राज मंत्रालय |
| एमओआरडी | : | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| एमटी | : | मास्टर ट्रेनर्स |
| एनएसी | : | राष्ट्रीय सलाहकार समिति |
| एनसीबीएफ | : | राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा |
| एनडीआरजीजीएसपी | : | नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार |
| एनईजीपी | : | राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम |
| एनआईआरडी और पीआर | : | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान |
| एनपीएमयू | : | राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई |
| एनपीटीए | : | तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना |
| एनएससी | : | राष्ट्रीय संचालन समिति |

| | | |
|---|---|---|
| एनएसएस | : | राष्ट्रीय सेवा योजना |
| एनवाईकेएस | : | नेहरू युवा केंद्र संगठन |
| ओएसआर | : | स्वयं का राजस्व स्रोत |
| पीईएस | : | पंचायत उद्यम सुइट |
| पीएफएमएस | : | सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली |
| पीएफ | : | पंचायत पदाधिकारी |
| पीएलसी | : | पंचायत अध्ययन केंद्र |
| पीएमयू | : | कार्यक्रम प्रबंधन इकाई |
| पीआरआई | : | पंचायती राज संस्थान |
| पीआरटीआई | : | पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान |
| आरजीएसए | : | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान |
| आरजीएसए-एमआईएस | | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एसडीजी | : | सतत विकास लक्ष्य |
| एसईसी | : | राज्य कार्यकारी समिति |
| एसईसीसी | : | सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना |
| एसएफसी | : | राज्य वित्त आयोग |
| एसएचजी | : | स्वयं सहायता समूह |
| एसएनए | : | एकल नोडल एजेंसी |
| एसआईआरडी | : | राज्य ग्रामीण विकास संस्थान |
| एसपीएमयू | : | राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई |
| एसपीआरसी | : | राज्य पंचायत संसाधन इकाई |
| एससी | : | राज्य संचालन समिति |
| टीएमपी | : | प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल |

| | | |
|---|---|---|
| टीएनए | : | प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन |
| यूजीएस | : | यूज़र समूह |
| संघ राज्य क्षेत्र | : | केंद्र शासित प्रदेश |
| वी.ई.सी | : | ग्राम शिक्षा समिति |
| वीएचएसएनसी | : | ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति |

सशक्त पंचायत सतत विकास

## अध्याय - 1

## योजना का औचित्य

महात्मा गांधी ने गांवों को छोटे गणराज्यों के रूप में देखा और इस बात का अनुसमर्थन किया कि सच्चे लोकतंत्र की शुरुआत हर गांव के लोगों की जमीनी स्तर की भागीदारी से होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशित किया।

### 1.1 संवैधानिक प्रावधान

1.1.1 पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक स्थानीय सरकारी संस्थाएं हैं जो सुशासन, सामाजिक समावेश, लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए स्थानीय नियोजन और विकासात्मक गतिविधियों की जिम्मेदारी अनिवार्य कर दी है और जमीनी स्तर पर लोगों के नेतृत्व वाले विकास की कल्पना की है। पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अधिदेशित किया गया था।

1.1.2 शक्तियां, निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों (3Fs) के हस्तांतरण का स्तर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिदेशित है और यह राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है।

**ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलें**
**(अनुच्छेद 243जी)**

| मूलभूत कार्य: | कल्याण कार्य: |
|---|---|
| 1. पेय जल | 1. ग्रामीण आवास |
| 2. सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन | 2. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत |
| | 3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम |
| 3. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण | 4. शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित |
| 4. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता | 5. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा |
| | 6. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा |

| | |
|---|---|
| 5. सामुदायिक परिसम्पत्ति का रखरखाव | 7. पुस्तकालयों<br>8. सांस्कृति गतिविधियां<br>9. परिवार कल्याण<br>10. महिला और बाल विकास<br>11. समाज कल्याण, विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों सहित सामाजिक कल्याण<br>12. कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण<br>13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
| **कृषि और संबद्ध कार्य:**<br>1. कृषि, कृषि विस्तार सहित<br>2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण<br>3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास<br>4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन<br>5. मछली पालन<br>6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी<br>7. लघु वनोपज<br>8. ईंधन और चारा<br>9. बाजार और मेले | **उद्योग:**<br>1. लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित<br>2. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। |

1.1.3 भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, असमानता, खराब/ कमजोर मानव विकास सूचकांकों और बेरोजगारी के मुख्य मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुआयामी रणनीतियों की कल्पना की है। हाल के वर्षों में पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भारत सरकार केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदानों, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से पीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य अपने राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) के माध्यम से धन हस्तांतरित करते हैं और अपनी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से इतनी बड़ी धनराशि के हस्तांतरण ने बड़े वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से पंचायतों के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है। पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि को बेहतर सेवा वितरण और स्थानीय स्तर पर ठोस प्रभाव के साथ सुमेलित करने की आवश्यकता है।

1.1.4 एक महत्वपूर्ण चिंता जो अक्सर केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अधिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को हस्तांतरित करने के संबंध में उठाई जाती है, वह यह है कि पंचायतों में अपर्याप्त क्षमता है और वे इन सेवाओं के सुपुर्दगी में सक्षम नहीं होंगी। हालांकि यह स्थिति राज्यों में भिन्न होती है, कई राज्यों में पंचायतों के भीतर प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता के मामले में कमजोरी चिंता का विषय बनी हुई है। यह एक ऐसे चक्र की ओर ले जाता है जहां कम क्षमता अपर्याप्त हस्तांतरण की ओर ले जाती है, जिससे कमजोर संस्थान बन जाते हैं। संवैधानिक रूप से अधिदेशित पंचायत का एक सक्षम नेतृत्व स्थानीय स्तर पर सुशासन को निर्धारित करने के लिए और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, पंचायतों और संबंधित संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवाओं के कुशल वितरण के लिए ग्राम सभा प्रक्रियाओं का समर्थन करना होगा। नए सिरे से पंचायतों को स्थानीय स्वशासन और विकास इंजन की मजबूत इकाइयों के रूप में देखने पर फोकस है, न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व की भूमिका निभाने और पीआरआई को आर्थिक विकास और स्थानिक विकास के नोड्स/ सहमति के रूप में सक्षम करने के लिए केवल कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में।

1.1.5 राज्य अधिनियमों के तहत शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण के अलावा, पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सौंपे गए कार्यों मे **बृद्धि** किए जा रहे हैं। संशोधित आरजीएसए योजना एलएसडीजी के 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए एसडीजी को पूरा करने के लिए पीआरआई की क्षमता निर्माण पर जोर देती है।

## 1.2 चुनौतियां:

1.2.1 प्रणाली में बड़ी संख्या में हितधारकों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) और पंचायत पदाधिकारियों (पीएफ) के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्षमता निर्माण के लिए भी एक चुनौती पेश की है। इसके अलावा, पंचायतों में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक असमानता और भेदभाव के कारण उन्हें अभी भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

1.2.2 वर्तमान में लगभग 2.63 लाख पंचायतें और पीआरआई के लगभग 31.47 लाख ईआर जिनमें से 14.54 लाख (लगभग 46.20 प्रतिशत) महिलांए हैं। विश्व में स्थानीय शासन में महिलाओं के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व को सार्थक भागीदारी, लैंगिक समानता और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में तब्दील करने की आवश्यकता है। संविधान राज्यों को पंचायतों को शक्तियां अंतरित करने का अधिकार देता है ताकि पंचायतें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। हालांकि, पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में उनकी डेलिवर करने की क्षमता तथा 3एफ) निधि कार्य और कार्यकर्ता (का हस्तांतरण की स्थिति राज्यों में उल्लेखनीय रूप से भिन्न है।

| **देश में पीआरआई** | |
|---|---|
| **ग्राम पंचायतों की संख्या** | 255309 |
| **प्रखंड पंचायतों की संख्या** | 6683 |
| **जिला पंचायतों की संख्या** | 662 |
| **निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या (ईआरएस)** | 31.47 लाख |
| **निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या (ईडब्ल्यूआर)** | 14.54 लाख |
| **पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कवर नहीं किया गया क्षेत्र (गैर-भाग IX)** | |
| **मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों, दार्जिलिंग जिले, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सें** | |

1.2.3 स्थानीय स्वशासन में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा अनुसूची V क्षेत्रों का है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम 1996, अनुसूची V क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन और संसाधनों पर लोगों के नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करता है। फिर भी, पेसा का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। जिसका आंशिक कारण पेसा प्रावधानों के अनुपालन में राज्य कानूनों में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा दिखाई गई अरुचि, बल्कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने के प्रयासों में कमी भी है। पंचायतों का सशक्तिकरण और अनुसूची V क्षेत्रों में पेसा के कार्यान्वयन का राष्ट्रीय महत्व है और इससे इन क्षेत्रों में बेहतर शासन और जवाबदेही हो सकती है। छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, पंचायतों की संस्थाएँ अधिदेशित नहीं हैं और इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन के लिए अन्य प्रकार की संस्थाएँ मौजूद हैं। इन संस्थाओं को समर्थन और सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव है।

1.2.4 इस संदर्भ में, संशोधित आरजीएसए योजना ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि वे स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सकें, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली भागीदारी योजनाएं तैयार कर सकें तथा एलएसडीजी के 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाने वाले एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं

के लिए टिकाऊ समाधानों को साकार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें।

## 1.3 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की पृष्ठभूमि:

केंद्रीय बजट वर्ष 2016-17 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की क्षमताओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की घोषणा की गयी थी। इस घोषणा तथा उपाध्यक्ष-नीति आयोग की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के अनुपालन में केंद्र प्रायोजित आरजीएसए योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21.04.2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था। आरजीएसए के मूल्यांकन से **पता चला** है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेचीदगियों और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और उपकरणों तक पहुंच के साथ-साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संस्थानों के समन्वय के माध्यम से संकाय और संसाधनों को पूल करने के मामले में मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से यह भी पता चला है कि पीआरआई के मुख्य क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) गतिविधियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए तथा बदलते शासन तंत्र के साथ उत्पन्न होने वाली उभरती जरूरतें को पूरा करने के लिए और अधिक ठोस प्रक्रियाओं जरुरत हैं । रिपोर्ट ने आरजीएसए योजना के तहत किए गए हस्तक्षेपों की सराहना की और पीआरआई को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, संशोधित आरजीएसए का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

## 1.4 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):

1.4.1 केंद्र प्रायोजित संशोधित आरजीएसए योजना क्षमता निर्माण आयोग के इनपुट के आधार पर विशेष रूप से ईआर, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों को बनाने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों के संबंध में, व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी सीखने के आधार पर इमर्सिव और लक्ष्योंन्मुखी डिलिवरेबल्स के साथ करना और संरेखित करने हेतु तैयार की गई है। इंटरएक्टिव क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और कभी भी कहीं भी स्व-शिक्षण और स्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) मेटावर्स आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने पर जोर दिया जाएगा।

सशक्त पंचायत सतत विकास

**1.4.2 संशोधित केंद्र प्रायोजित आरजीएसए योजना को सरकार द्वारा दिनांक 13**.04.2022 **को** 01.04.2022 से 31.03.2026 (पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-टर्मिनस) के कार्यान्वयन के लिए 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय पर अनुमोदित किया गया है। जिसमें 3700 करोड़ रुपये का केन्द्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये राज्य हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया है। संशोधित आरजीएसए गैर-भाग IX क्षेत्रों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं के ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागु है।

1.4.3 भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 एजेंडा के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है और नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से संबंधित क्षेत्र, पंचायती राज संस्थानों आदि की भागीदारी के साथ बहुआयामी रणनीति अपनाने वाले लक्ष्यों और साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.4.4 देश के सामने प्रमुख विकासात्मक चुनौतियाँ अर्थात गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लिंग, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि एसडीजी के साथ तालमेल बिठाते हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं। इसलिए, पंचायतों को एसडीजी के स्थानीयकरण में प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जो जमीनी स्तर पर चिन्हित 9 विषयों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हैं और वर्ष 2030 तक उन्हें प्राप्त करते हैं। इसलिए, इस प्रयास में पीआरआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न एसडीजी की प्राप्ति के लिए नोडल मंत्रालय/विभागों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के रूप में मानचित्रण किया गया है। यद्यपि एक नोडल मंत्रालय के रूप में मैप नहीं किया गया है, फिर भी पंचायती राज मंत्रालय लगभग सभी एसडीजी को कवर करते हुए 9 विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए पंचायतों के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने के प्रयासों को सुविधाजनक बना रहा है। ***9 थीम और संबंधित मैप किए गए एसडीजी निम्नलिखित हैं:***

- ✓ थीम 1: गरीबी मुक्त गांव (एसडीजी: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 15)
- ✓ थीम 2: स्वस्थ गांव (एसडीजी: 2 और 3)
- ✓ थीम 3: बाल-हितैषी गांव (एसडीजी:1,2,3,4 और 5)
- ✓ थीम 4: जल पर्याप्त गांव (एसडीजी: 6 और 15)
- ✓ थीम 5: स्वच्छ और हरित गांव (एसडीजी: 6, 7, 12, 13, 14 और 15)
- ✓ थीम 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव (एसडीजी: 1,2,3,4,5,6,9 और 11)
- ✓ थीम 7: सामाजिक रूप से संरक्षित गांव (एसडीजी: 1,2,5,10 और 16)
- ✓ थीम 8: सुशासन वाला गांव (एसडीजी:16)
- ✓ थीम 9: महिला हितैषी गांव (एसडीजी: 1,2,3,4,5 और 8)

ये 9 थीम सभी 17 एसडीजी को कवर करती हैं और क्रॉसकटिंग और आपस में जुड़ी हुई हैं। यद्यपि नीति आयोग के अनुसार 17 एसडीजी को विभिन्न मंत्रालयों में मैप किया गया है, एक विशेष विषय एक से अधिक एसडीजी का समाधान करता है और तदनुसार इसकी प्राप्ति में एक से अधिक मंत्रालयों और राज्य विभागों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विशेष विषय को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के तालमेल की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में "**संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" का प्रतीक है।**

| सतत विकास लक्ष्य | |
|---|---|
| लक्ष्य 1 | गरीबी के सभी रूपों को हर जगह से समाप्त करना |
| लक्ष्य 2 | भूखमरी की समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना |
| लक्ष्य 3 | सभी उम्र के लोगों में स्वास्थय सुरक्षा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कराना |
| लक्ष्य 4 | समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए अवसर देना |
| लक्ष्य 5 | लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना |
| लक्ष्य 6 | सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना |
| लक्ष्य 7 | सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना |
| लक्ष्य 8 | सभी के लिए सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम को बढ़ावा देना |
| लक्ष्य 9 | लचीली बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना |
| लक्ष्य 10 | देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना |
| लक्ष्य 11 | शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना |
| लक्ष्य 12 | स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना |
| लक्ष्य 13 | जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना |
| लक्ष्य 14 | सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना |
| लक्ष्य 15 | स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला, और भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना |
| लक्ष्य 16 | सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। |

| | |
|---|---|
| लक्ष्य 17 | सतत विकास के लिए कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना |

1.4.5 पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास के संचालकों और स्थानिक विकास के नोड्स के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि एक नए 'इको-सिस्टम' दृष्टिकोण के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) की कल्पना की जाए जिसमें समग्र, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए पीआरआई को सुविधा और समर्थन देने के लिए सभी हितधारक एक साथ आएं। इसलिए, निर्वाचित प्रतिनिधि को पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से लैस करने की आवश्यकता है, जो हर पांच साल में नए प्रवेशकों के रूप में चुने जाते हैं और पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अन्य सभी हितधारकों को पूर्वोक्त दृष्टि को साकार करने में सक्षम बनाते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अब पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित कर रहा है ताकि सरकार के प्रभावी तीसरे स्तर को विकसित/तैयार किया जा सके जिससे वे एलएसडीजी के विषयगत दृष्टिकोण को अपनाने वाले एसडीजी पर काम कर सकेंगें।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## अध्याय - 2

# संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्य, कवरेज, फोकस क्षेत्र और अपेक्षित परिणाम

**2.1 संशोधित आरजीएसए के उद्देश्य :** व्यापक रूप से शामिल हैं

(i) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की शासन क्षमताओं का विकास करना;

(ii) ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास पर ध्यान देना;

(iii) राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

(iv) अपने राजस्व के स्रोत को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना;

(v) पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना।

(vi) संविधान और पेसा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना;

(vii) विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना; बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के ईष्टतम उपयोग के लिए अन्य विभागों और हितधारकों के साथ सहयोग करना;

(viii) पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और हैंड-होल्डिंग का समर्थन करने के लिए अकादमिक संस्थान/उत्कृष्टता संस्थान के साथ सहयोग;

(ix) पंचायत प्रशासनिक दक्षता में सुशासन को सक्षम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना;

(x) **एसडीजी** की प्राप्ति के लिए पीआरआई के कार्यनिष्पादन को पहचानना और प्रोत्साहित करना;

(xi) कई और विविध लक्ष्य समूहों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना और आकलन और सूचित नीतिगत निर्णयों के लिए पीआरआई से संबंधित अनुसंधान अध्ययन करना;

(xii) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सूचनाओं/विचारों का आदान-प्रदान और स्थानीय शासन में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना।

## 2.2 कवरेज

संशोधित आरजीएसए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में लागू होगा। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, जहां कहीं भी 'पंचायतों' का उल्लेख किया गया है, इनमें गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान शामिल होंगे।

## 2.3 संशोधित आरजीएसए के फोकस क्षेत्र:

2.3.1 सुनिश्चित करना है:

- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) के लिए उनके चयन के 6 महीने के भीतर बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण;
- 2 साल के भीतर रिफ्रेशर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना है;
- पंचायत-एसएचजी अभिसरण का सुदृढ़ीकरण;
- ईआर और पीएफ, संसाधन व्यक्तियों, प्रशिक्षकों / मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए राज्य, जिला और जीपी स्तर के ब्लॉक / क्लस्टर में पीआरआई के विभिन्न पहलुओं पर ई-गवर्नेंस और एलएसडीजी पर विषयगत दृष्टिकोण का पालन करते हुए प्रशिक्षण;
- इंटरएक्टिव क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों को सुनिश्चित करने और कभी भी कहीं भी स्व-शिक्षण और स्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) मेटावर्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाले प्रशिक्षण के भौतिक / आभासी / ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण;
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मानकीकरण, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री, मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी मूल्यांकन;

- एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए 9 विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षकों/मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण;
- पंचायतों के सभी स्तरों और ऐसी अन्य गतिविधियों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए ईआर को सक्षम करने के लिए उत्कृष्टता संस्थानों/प्रतिष्ठित संस्थानों का लाभ उठाना;
- डिजिटल साक्षरता पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का निर्माण।

### 2.3.2 अंतरालों को पाटने के लिए:

- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) ;**
- **पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान के साथ ग्राम पंचायत अवसंरचना ;**
- **दूरस्थ शिक्षा और पंचायतों के ई-सक्षमीकरण के लिए आईटी का उपयोग ;**
- **गतिविधियों के लिए संस्थागत समर्थन ;**
- **आर्थिक विकास और आय वृद्धि परियोजनाओं के लिए गैप फिलिंग हेतु सहायता;**
- **पंचायत संसाधन केंद्रों को मजबूत करने के लिए मानव संसाधन (एचआर) सहित तकनीकी सहायता;**
- **अकादमिक संस्थानों/उत्कृष्ट संस्थानों /सीएसओ/सीबीओ/एनजीओ (नीति आयोग के एनजीओ दर्पण में पंजीकृत) द्वारा जीपीडीपी तैयार करने के लिए हैंड-होल्डिंग समर्थन।**
- **मंत्रालय द्वारा विकसित/ तैयार अनुप्रयोगों के एकीकरण पर जोर देने के साथ दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस के लिए पंचायतों को ई-सक्षम बनाना।**
- **ग्राम पंचायतों में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी), सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग की सुविधा।**
- **एसपीआरएस /डीपीआरसी/बीपीआरसी के लिए कार्यालय की जगह किराए पर लेने और जिला और ब्लॉक स्तर पर अल्पकालिक आधार पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करना।**
- **प्रोटोकॉल स्थापित करने और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय घटक।**

### 2.4 आरजीएसए के अपेक्षित परिणाम - व्यापक परिणाम निम्नानुसार हैं:

- सहभागितापूर्ण स्थानीय योजना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से 9 विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमता में वृद्धि।
- प्रशासनिक दक्षता, बेहतर सेवा वितरण और अधिक जवाबदेही के लिए पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का उपयोग बढ़ाना।

- पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं, सुविधाओं और मानव संसाधनों के साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत संरचना का निर्माण।
- पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और ग्राम सभाओं को नागरिकों, विशेषकर कमजोर समूहों के सामाजिक समावेश के साथ प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना।
- एसडीजी के स्थानीयकरण में स्थायी समितियों को मजबूत करना और क्षेत्र/विषयवार योजनाओं की तैयारी के माध्यम से जीवंत ग्राम सभा की अवधारणा को साकार करना।
- सामाजिक न्याय और समुदाय के आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना, क्योंकि पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और ये जमीनी स्तर के सबसे करीबी संस्थान हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के माध्यम से पंचायतों को उत्तरोत्तर मजबूत किया जाएगा जो उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करेगा।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## अध्याय - 3

## पंचायत संसाधन और पंचायत विकास योजना (पीडीपी)

3.1 केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.) ने उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन हस्तांतरित करके पंचायत स्तर पर एक बहुत बड़ा अवसर पैदा किया है। यहां पंचायतों को जिम्मेदारी से और कुशलता से बुनियादी सेवाओं के वितरण के संबंध में अपना अधिदेश देने में सक्षम होने के लिए तत्काल सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है।

3.2 संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार की शक्तियों वित्तीय, कार्यात्मक और पदाधिकारी के सफल हस्तांतरण के साथ स्वशासन की संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया है। पंचायतों को शक्तियों और अधिकारों का हस्तांतरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने के लिए वित्तीय शक्तियां सौंपी जानी हैं। हालांकि, यह देखा गया है कि कई राज्यों में, पंचायतें वर्तमान में अपने स्वयं के संसाधनों को अपेक्षित सीमा तक नहीं जुटा पा रही हैं और काफी हद तक अनुदान पर निर्भर हैं।

### 3.3 पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तिकरण-मौजूदा बाधाएं

पंचायती राज संस्थाओं के खराब राजस्व संग्रहण के लिए आम तौर पर गरीबी, खराब स्थानीय सेवाओं, उनके निपटान में अपर्याप्त जनशक्ति और कर संग्रह के लिए सशक्त नहीं होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन सीमाओं के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं के पास राजस्व सृजन करने की क्षमता है जो आज तक अप्रयुक्त रहे, हालांकि कुछ राज्यों में, पंचायती राज संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) प्रबंधन से राजस्व सृजन करने का भी अधिकार है जैसे तालाबों की नीलामी, लकड़ी की बिक्री, भूमि को पट्टे पर देना आदि। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग आय का सृजन करने वाली संपत्तियां बनाने के लिए कर सकती हैं जैसे कि वाणिज्यिक भवनों का निर्माण, भंडारण सुविधाएं, बाजार स्थान और अन्य सुविधाएं जो किराए को आकर्षित करती हैं।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## 3.4 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और पंचायतें

3.4.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 243जी ने पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का अधिकार दिया है। स्थानीय सरकारों के रूप में, पंचायतों से स्थानीय लोगों को समग्र स्थानीय विकास के लिए भागीदारीपूर्ण योजना और निर्णय लेने में शामिल करके प्रक्रिया का नेतृत्व करने और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की कमजोरियों को दूर करने की उम्मीद की जाती है। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से सुविचारित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, जीपी के मुख्य कार्य के हिस्से के रूप में एक कुशल और मजबूत योजना प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। ग्राम पंचायत विकास योजना उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए, और एक समावेशी, पारदर्शी किराया और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। एसडीजी से जुड़ी जरूरतों और प्राथमिकता की स्थानीय धारणा, समस्याओं, समाधानों और संसाधनों के स्थानीय विश्लेषण और सामूहिक स्थानीय दृष्टि के साथ गठबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

3.4.2 स्थानीय स्तर की योजना के माध्यम से बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएफ़सी पुरस्कार ने जमीनी स्तर पर भागीदारीपूर्ण योजना पहल के लिए अवसर प्रदान किया । एक बार मनरेगा, एसएफसी ट्रांसफर, स्वयं के राजस्व स्त्रोत और अन्य राज्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रवाह के साथ अभिसरण के बाद, यह अभिसरण योजना के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन आधार बनाता है, एसडीजी की प्राप्ति में योगदान देता है और स्थानीय विकास में उनकी नेतृत्व भूमिका का पुन: आगाज करता है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने जीपीडीपी के लिए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करने के लिए राज्यों का समर्थन किया, जो विभिन्न स्थानीय मॉडलों और नवाचारों की अनुमति देता है जो स्थानीय रूप से उपयुक्त और लागत प्रभावी होंगे। स्थानीय रूप से तैयार की गई योजना भी असंबद्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और जवाबदेह उपयोग करने का एकमात्र तरीका होगा। जीपीडीपी को महसूस की गई जरूरतों को कुशलता से पकड़ने, सेवा वितरण में सुधार, नागरिकता में वृद्धि, लोगों के संस्थानों और समूहों के गठबंधन के लिए जगह बनाने और स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

3.4.3 ग्राम पंचायत राष्ट्रीय के साथ-साथ स्थानीय आकांक्षाओं और लोगों की जरूरतों से मेल खाने के लिए भागीदारीपूर्ण, समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करें। वार्षिक जीपीडीपी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना से तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों की उपलब्धता के बारे में बताते हुए पंचायतों को रिसोर्स एनवलप देना ताकि अभिसरण योजना सुनिश्चित की जा सके।

3.4.4 जीपीडीपी तैयार करने के लिए विशेष ग्राम सभा से पहले महिला सभा और बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। महिला सभा में चर्चा किए गए मुद्दों और जरूरतों को सकल मूल लोकतंत्र को मजबूत करने और भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने के लिए जीपीडीपी में उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाना है।

3.4.5 ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी), ग्राम पोषण योजना (वीएनपी), जल और स्वच्छता योजना (डब्ल्यू एंड एसपी), स्कूल विकास योजना (एसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजना आधारित उप योजनाओं को जीपीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए ग्राम पंचायत की सही मायने में समावेशी, समग्र और अम्ब्रेला योजना को जीपीडीपी में शामिल किया जा सके।

3.4.6 राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जीपीडीपी के तहत प्रत्येक गतिविधि - पर्यावरण अनुकूलन, स्थिति विश्लेषण, प्राथमिकता, संबंधित ग्राम सभा में अनुमोदन आदि हो और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

3.4.7 एक सुसंगत और प्रभावी जीपीडीपी तैयार करना एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए संसाधन आवंटन, समुदाय जुटाने, भेद्यतापूर्ण मानचित्रण, सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन, परिणाम आधारित योजना और तकनीकी प्रतिबंधों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। सक्षम ईआर और पीआरआई के पदाधिकारियों और अधिकार प्राप्त नागरिकों का एक संयोजन जीपीडीपी द्वारा सृजित अवसरों का लाभ उठा सकता है। इसलिए, इस तरह की पहलों को शुरू करने के लिए गहन सुविधा, सलाह/ समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। इसे पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों/ एकेडेमिक्स/विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, स्वयंसेवकों आदि को शामिल करके और क्लस्टर सुविधा दृष्टिकोण का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। जीपीडीपी के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल (जीपीपीएफटी), स्थायी समितियों और संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण समुदाय को सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित होगा।

## 3.5 अभिसरण

3.5.1 योजनाओं का अभिसरण और उनके निगरानी कार्यान्वयन ' गरीबी मुक्त गांव', 'स्वस्थ गांव, 'बाल-हितैषी गांव', 'जल पर्याप्त गांव', 'स्वच्छ और हरित गांव', 'आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव', 'सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव', 'सुशासन वाला गांव' और 'महिला हितैषी गांव'। इसलिए, यह जरूरी है कि जीपीडीपी फॉर्मूलेशन/ निर्धारण नवीनतम विकास को

सशक्त पंचायत सतत विकास

एकीकृत करने के साथ-साथ जीपीडीपी को अधिक पंचायत विशिष्ट, बेहतर संरचित, मानचित्र बनाने में आसान, विश्लेषण और सरकारी योजनाओं के खिलाफ ट्रैक करने के लिए विकसित हो। एक व्यापक जीपीडीपी न केवल सहभागितापूर्ण योजना में योगदान देगा बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को संस्थागत बनाने में भी योगदान देगा और लंबे समय में देश में गांवों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एकर/ संयोजक साबित होगा।

3.5.2 अधिकांश सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पंचायतें विशेष रूप से ग्राम पंचायतें अनिवार्य रूप से अंतिम छोर तक अभिसरण का बिंदु हैं। अभिसरण प्रयासों के दोहरेपन को रोकता है, संसाधनों की बर्बादी को रोकता है और सहक्रियाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। कन्वर्जेंस मूल्यवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप गरीबों और कमजोर लोगों को एकीकृत लाभ मिलेगा। देश भर की पंचायतें स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजनाएं तैयार करती रही हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर तैयार किया गया है, जिसमें स्थानीय विकास के लिए गतिविधियां शामिल हैं, और गरीब और हाशिए के लोगों की कमजोरियों को दूर करना है। यह अनिवार्य हो जाता है कि पंचायतें गरीब और कमजोर लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए मनरेगा, एसबीएम (ग्रामीण), एनएचएम (ग्रामीण), जेजेएम, एनआरएलएम, सीएफसी, ओएसआर आदि से लाभ और संसाधनों को परिवर्तित करने की दिशा में काम करें।

3.5.3 ग्राम पंचायतों को उन संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए जिनके आधार पर योजना तैयार करने की आवश्यकता है। नतीजतन, ग्राम पंचायतों के समक्ष उनके क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के बारे में खुलासा करना महत्वपूर्ण है। संबंधित विभागों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ग्राम पंचायतों को ऐसे स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि इन्हें जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सके। 26 मंत्रालयों ने पहले ही डेटा साझा करने, संसाधनों और बुनियादी ढांचे को जोड़ने और विषयगत दृष्टिकोण अपनाने वाले पीआरआई के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति हेतु सक्षम वातावरण बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित संकल्प **अनुबंध-II में है।**

**3.6 ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजनाएं :** लगभग सभी ग्राम पंचायतें जीपीडीपी तैयार कर रही हैं, जैसा कि संविधान द्वारा अनिवार्य/ अधिदेशित है और चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा अनुशंसित है। नियोजन प्रक्रिया को पंचायत एवं जिला पंचायत को पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि दिये जाने के मद्देनज़र पंचायतों के अन्य स्तरों तक बढ़ाना भी आवश्यक है। प्रखंड। इसलिए, ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर भी इस तरह की पहल को शुरू करने के लिए सुविधा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सलाह / समर्थन की आवश्यकता है। ब्लॉक और जिला पंचायतों को भी राष्ट्रीय और साथ ही स्थानीय स्तर की आकांक्षाएं और लोगों की जरूरतों से मेल खाने के लिए भागीदारीपूर्ण, समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी चाहिए।

वार्षिक बीपीडीपी और डीपीडीपी को प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना से तैयार किया जाना चाहिए।

3.7 **जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाना**: राज्य अपने राज्य में अन्य पंचायतों के बीच मॉडल जीपीडीपी/बीपीडीपी/ डीपीडीपी के रूप में अपनी सर्वोत्तम तैयार की गई पंचायत योजनाओं का दस्तावेजीकरण और साझा इन्हें करके अच्छी तरह से तैयार करने, सुसंगत और प्रभावी जीपीडीपी/ बीपीडीपी/ डीपीडीपी तैयार करने में खुद की मदद कर सकते हैं। इससे अन्य पंचायतें इस संबंध में शीघ्रता से सीख सकेंगी और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को आत्मसात कर सकेंगी। इस प्रकार सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को कम समय में तेजी से बढ़ाया जा सकता है, और राज्य भर में पंचायत योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

## अध्याय - 4

## स्थायी उप-समितियां और समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ)

4.1 समुदाय आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रणनीति वर्षों से समुदाय आधारित संस्थानों और योजना विशिष्ट समितियों पर समुदाय के स्वामित्व के निर्धारण और जमीनी स्तर पर संगठित सामाजिक पूंजी के उपयोग के माध्यम से प्रभावी कार्यक्रम वितरण के लिए महत्वपूर्ण रूप से निर्भर रहे हैं।

4.2 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सीबीओ जैसे स्वायत्त संस्थानों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, शासन को मजबूत करने और पंचायतों की जवाबदेही में सुधार के लिए उपयोग करने की क्षमता है । पीआरआई और एसएचजी/सीबीओ पारस्परिक रूप से गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने, गरीबों के स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को जुटाने के माध्यम से कार्यक्रम वितरण और शासन में सुधार करने के लिए संबद्ध हो सकते हैं।

4.3 पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण योजना के लिए पंचायतों-एसएचजी अभिसरण पर एक विस्तृत सलाह जारी की है **(अनुबंध-III)** यह परामर्शी पंचायतों के साथ एसएचजी के अभिसरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों में शामिल होने के लिए संभावित भूमिकाएं निभा सकते हैं।

4.4 ग्राम सभाओं द्वारा संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एसबीएम (ग्रामीण), एनएचएम (ग्रामीण), एनआरएलएम, पोषण अभियान आदि का लाभ उठाने के लिए बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों की अनिवार्य पहचान का सिद्धांत और नियमित एवं सही अद्यतन लाभार्थियों की सूची पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण पहलों का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए।

4.5 जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, शासन को मजबूत करने और पंचायतों की जवाबदेही में सुधार के लिए विभिन्न स्थायी उप-समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए, अपने कामकाज को पुनर्जीवित करने और ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से छह स्थायी उप-समितियां होनी चाहिए, अर्थात् (i) सामान्य स्थायी समिति; (ii) ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी); (iii) योजना एवं विकास समिति; (iv) शिक्षा समिति (स्कूल प्रबंधन समिति); (v) सामाजिक न्याय स्थायी समिति; और (vi) जल आपूर्ति, जल और पर्यावरण संरक्षण समिति। मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2021 के अ.शा. पत्र के माध्यम से ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के संबंध में एक विस्तृत सलाह जारी की गई है। यह **अनुबंध-IV में है**।

4.6 स्थायी उप-समितियों की क्षमता के पहलू को भी ग्राम पंचायतों के संकल्प/प्राथमिकताओं के अनुसार एसडीजी के स्थानीयकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जा सकती है।

सशक्त पंचायत सतत विकास

अध्याय 5

## संशोधित आरजीएसए के तहत फंडिंग पैटर्न और फंड जारी करना

5.1 सरकार ने 5911 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपये) के परिव्यय पर वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना को मंजूरी दी है । आरजीएसए की संशोधित योजना गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित है जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं।

5.2 इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों घटक शामिल हैं। केंद्रीय घटकों में तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए), अकादमिक संस्थान/उत्कृष्टता संस्थान/एनआईआरडी और पीआर के साथ सहयोग, ई-पंचायत पर मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी), 'पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण', 'कार्य अनुसंधान और प्रचार' और 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' सहित राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां शामिल हैं और इन्हें पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

5.3 पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जहां केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में है, राज्य घटकों के लिए वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 100% है।

5.4 संशोधित आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) राज्य में पंचायतों/समकक्ष निकायों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को उनकी क्षमता निर्माण योजनाओं को लागू करने के लिए प्रदान की जाने वाली निधियों की मात्रा का निर्णय लेने में सक्षम होगी जो बजट उपलब्धता के अधीन होगा। राज्य योजनाओं को भेजने और उनका मूल्यांकन करते समय विभिन्न गतिविधियों के लिए इकाई लागत/व्यय की सीमा का पालन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो औचित्य के साथ, संशोधित आरजीएसए के सीईसी द्वारा इकाई लागत को 25% तक संशोधित किया जा सकता है। गतिविधियों के लिए, जिसके लिए एक इकाई लागत या ऊपरी व्यय सीमा तय नहीं है या दिशानिर्देशों में इंगित नहीं किया गया है, संशोधित आरजीएसए के सीईसी व्यय परिव्यय और इकाई लागत को मंजूरी देने के लिए सक्षम होंगे। सीईसी, सचिव (पंचायती राज) के अनुमोदन के अधीन, लागत मानदंडों सहित दिशानिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने के लिए भी सक्षम होगा। राज्य सरकारों के तहत निधियां जारी करना सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन और अन्य व्यय जो आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित होते हैं, उन्हें आरजीएसए में हस्तांतरित/प्रभारित नहीं किया जा सकता है।

5.5 संशोधित आरजीएसए के राज्य घटकों के तहत निधियां जारी करना: संशोधित आरजीएसए के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दो समान किश्तों में प्रदान की

सशक्त पंचायत सतत विकास

जाएंगी। पहली किश्त में, वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत निधि का 50% पिछले वर्ष की रिलीज से राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को घटाने के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा। दूसरी किस्त (शेष 50%) 60% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी जैसा कि आरजीएसए (वर्ष 2018-19 से 2021-22) योजना के कार्यान्वयन के दौरान या मौजूदा डीओई / वित्त मंत्रालय दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था। निधि जारी करने की प्रक्रिया को राज्यों द्वारा प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग से जोड़ा जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आरजीएसए के लिए एक अलग बजट शीर्ष बनाएंगे। इस योजना के तहत निधि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राज्य सरकारों की संचित निधि में अंतरित की जाएगी।

5.6 संशोधित आरजीएसए के 'राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना (एनपीटीए)' और ' एनआईआरडी एंड पीआर और अन्य उत्कृष्टतापूर्ण संस्थानों' के केंद्रीय घटकों के तहत दो समान किश्तों में कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा। पहली किश्त में, प्रस्ताव की निधि के 50% का भुगतान पिछले वर्ष की रिलीज से अव्ययित शेष राशि को घटाने के तुरंत बाद किया जाएगा। दूसरी किस्त (शेष 50%) 60% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी जैसा कि आरजीएसए (2018-19 से 2021-22) योजना के कार्यान्वयन के दौरान या मौजूदा डीओई / वित्त मंत्रालय दिशानिर्देशों / निर्देशों के अनुसार किया जा रहा था।

5.7 संशोधित आरजीएसए योजना के तहत धन प्राप्त करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित पूर्व-अपेक्षित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:

(i) जीएफआर (2) 238और जीएफआर 239 के अनुसार पहली किस्त जारी करने के लिए राज्य को पिछले वर्ष के लिए जीएफआर-12 सी प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुत द्वारा राज्य (संचालित द्वारा एजेंसी स्वतंत्र) चाहिए। जानी

(iii) राज्य द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(iv) प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और आरजीएसए-एमआईएस को प्रगति के साथ नियमित रूप से अद्यतन करना।

(v) केंद्र और राज्य के शेयरों के लिए अलग-अलग बजट लाइनें राज्य सरकार द्वारा खोली जाएंगी और दोनों घटकों के लिए राज्य के बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि बजट का प्रावधान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार हो।

(vi) इस योजना के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) को नामित किया गया है और एकल नोडल खाता खोला जाना चाहिए और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ मैप

किया जाना चाहिए।

(vii) कुल अव्ययित शेष और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय को समर्पित एकल नोडल खाते (एसएनए) में दर्शाया जाना चाहिए।

(viii) राज्य को स्टेट ट्रेजरी के साथ राज्य योजना को मैप करना चाहिए और पूरी तरह से एकीकरण करने की आवश्यकता है।

(ix) राज्य सरकार को इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर आरबीआई में अपने खाते में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित एसएनए के खाते में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय हिस्से को राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते या किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाएगा।

(x) राज्यों को भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(xi) तदनुरूपी राज्य का हिस्सा यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए और केंद्रीय हिस्सा जारी होने के 40 दिनों के बाद नहीं होना चाहिए।

सशक्त पंचायत सतत विकास

अध्याय 6

## संशोधित आरजीएसए के तहत निधि प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें

आरजीएसए निधि प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें निम्नवत हैं:

1. गैर-भाग IX क्षेत्रों में पंचायतों या स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनाव का नियमित संचालन।
2. पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण।
3. राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का हर पांच साल में गठन, और राज्य विधानसभा में एसएफसी की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की प्रस्तुति।
4. सभी जिलों में जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन और इन्हें क्रियाशील बनाने के लिए दिशानिर्देश/नियम जारी करना।
5. पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार करना और प्रस्तुत करना।
6. आर्थिक विकास और आय वृद्धि परियोजनाओं को मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित पंचायत (जीपी स्तर की परियोजना के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर की परियोजना के लिए ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर की परियोजना के लिए जिला पंचायत) का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

सशक्त पंचायत सतत विकास

अध्याय -7

## केंद्रीय घटक एस

7.1 संशोधित आरजीएसए की योजना में केंद्रीय घटक शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां शामिल हैं और इस योजना को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

(i) तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए)

(ii) एनआईआरडी और पीआर और अन्य उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान

(iii) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ई-पंचायत पर एमएमपी)

(iv) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी)

(v) एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी (एआर एंड पी)

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी)

7.1.1 संशोधित आरजीएसए योजना के केंद्रीय घटक के तहत वर्ष-वार और घटक-वार आवंटन निम्नानुसार है:

केंद्रीय घटक के लिए बजट

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं | केंद्रीय घटक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 28.00 |
| 2. | ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना | 20.00 | 20.00 | 20.10 | 20.10 | 80.20 |
| 3. | पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 192.00 |
| 4. | एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 39.00 |
| 5. | अंतरराष्ट्रीय सहयोग | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |

| क्र.सं | केंद्रीय घटक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | एनआईआरडी और पीआर और अन्य उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान (एजेंसी सेवाएं) | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 44.00 |
| | कुल | 110.20 | 90.20 | 90.30 | 93.30 | 384.00 |

## 7.2 राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना (एनपीटीए)

7.2.1 एनपीटीए के उद्देश्य : एनपीटीए का उद्देश्य संशोधित आरजीएसए को लागू करने में तकनीकी और अन्य सहायता, पर्यवेक्षण, निगरानी, प्रदान करना है। एनपीटीए के तहत निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी:

(i) राज्य योजनाओं का मूल्यांकन।

(ii) पीआरआई को मजबूत करने के लिए सीबी एंड टी गतिविधियों के लिए मौजूदा योजनाओं के अभिसरण और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/राज्यों के साथ सहयोग।

(iii) विषयगत दृष्टिकोण अपनाने वाले पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण की दिशा में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, सीएसओ और अन्य के साथ सहयोग ।

(iv) योजना का कार्यान्वयन, निगरानी और राज्यों को तकनीकी सहायता।

(v) क्रॉस स्टेट शेयरिंग और लर्निंग, प्रलेखन और अच्छी प्रथाओं का प्रसार, क्षमता निर्माण और पंचायतों के सुदृढ़ीकरण पर कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन।

(vi) नवीन/विशिष्ट परियोजनाओं/गतिविधियों के संचालन के लिए संस्थानों, विशेष एजेंसियों के लिए सहायता

(vii) आरजीएसए के तहत गतिविधियों की निगरानी

(viii) आरजीएसए योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

7.2.2 इस घटक में विभिन्न गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता या योजना के सुचारू संचालन/कार्यान्वयन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), संबंधित विषयों/विषयों के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों/सलाहकारों के साथ स्टाफ, अनुवादक जैसे सहायक कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, सचिवीय कर्मचारी, एमटीएस आदि, कार्यालय उपकरण जैसे कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, कॉपियर, फर्नीचर, किराए पर लेने/वाहनों की आउटसोर्सिंग और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक अन्य गतिविधियों की खरीद एनपीएमयू का विवरण पैरा 7.8.4 में दिया गया है।

7.3 एनआईआरडी एंड पीआर और अन्य उत्कृष्टतापूर्ण संस्थान :

7.3.1 आरजीएसए कार्यक्रम के तहत पीआरआई को क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी और पीआर), राज्य संस्थानों सहित क्षमता निर्माण/उत्कृष्ट संस्थानों के क्षेत्र में काम कर रहे शैक्षणिक संस्थानों/राष्ट्रीय/प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग पीआरआई के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के लिए समग्र ढांचे के भीतर ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एसआईआरडी एंड पीआर) का काम शुरू किया जाएगा।

7.3.2 यह सहयोग योजना के ढांचे के भीतर पीआरआई के लिए सूचना प्रबंधन, गुणवत्ता में सुधार और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पहुंच के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत कार्य योजना पर आधारित होगा। सहयोग के क्षेत्रों में शामिल होंगे:

(i) विषयगत मॉड्यूल, ई-मॉड्यूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम, लघु फिल्मों सहित प्रशिक्षण सामग्री आदि का विकास।

(ii) मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों के पूल का विस्तार, मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन।

(iii) एनआईआरडी और पीआर सहित क्षमता निर्माण/उत्कृष्ट संस्थानों के क्षेत्र में काम कर रहे शैक्षणिक संस्थानों/राष्ट्रीय/ प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ ब्लॉक और जिला स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण ।

(iv) एलएसडीजी के 9 विषयों पर ध्यान देने के साथ हस्तक्षेपों/ कार्यों पर तकनीकी सहायता।

(v) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों, उत्कृष्टता संस्थान/डोमेन विशेषज्ञ एजेंसियों आदि के सहयोग से एसडीजी के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर प्रदर्शन योग्य ग्रामीण तकनीकी पार्कों का विकास।

(vi) अकादमिक संस्थानों/राष्ट्रीय/प्रतिष्ठित संस्थानों/उत्कृष्ट संस्थानों/एनआईआरडी और पीआर आदि के माध्यम से परियोजनाओं को शुरू कर सकता है ।

(vii) सीबीसी के परामर्श से एनआईआरडी एंड पीआर/विशेष एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों को सीबी एंड टी गतिविधियों को सौंपने में लगे राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए रैंकिंग ढांचा । इस ढांचे के आधार पर, इन संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग एनआईआरडी एंड पीआर और किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से की जाएगी।

सशक्त पंचायत सतत विकास

7.4 ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना :

7.4.1 ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को पूरी तरह से बदलना, उन्हें विकेन्द्रीकृत स्वशासी संस्थाओं के अंगों के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में सभी पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक कार्य प्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाना है जिससे स्थानीय प्रशासन में सुधार लाने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ मिल सके। कार्य आधारित लेखांकन के उद्देश्य से एक एकीकृत अनुप्रयोग, ई- ग्रामस्वराज तैयार किया गया है। अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए अपने लेनदेन के लिए ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस ( ईजीएसपीआई ) पर ऑन-बोर्ड होना अनिवार्य है।

7.4.2 मंत्रालय ने कार्य के विभिन्न चरणों की निगरानी, कार्यों के लिए किए गए व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए योजना के चरण से ही गतिविधि के संपूर्ण पहलुओं को कैप्चर करते हुए एक समग्र प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक व्यय की प्रभावी निगरानी के लिए बनाई गई संपत्ति का पूरा विवरण प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। सकल मूल स्तर पर ई-गवर्नेंस तंत्र को और बढ़ाने के लिए घटक के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

(i) पंचायतों के लिए वेब-आधारित अनुप्रयोगों का विकास और रखरखाव (योजना, बजट, लेखांकन, निगरानी, संपत्ति की जियो-टैगिंग, आदि के लिए ई-ग्राम स्वराज)

(ii) विकास और अद्यतन, अन्य ई- पंचायत अनुप्रयोगों का रखरखाव। स्थानीय सरकार निर्देशिका, ऑडिटऑनलाइन , सर्विसप्लस , प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी), विभिन्न अभियान पोर्टल और निगरानी डैशबोर्ड जैसे जन योजना अभियान, वाइब्रेंट पंचायत डैशबोर्ड, कोविड डैशबोर्ड, सिटीजन चार्टर डैशबोर्ड, आरजीएसए एमआईएस आदि।

(iii) ग्राम मानचित्र में संवर्द्धन और अद्यतन, इसे पंचायत योजना के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रणाली के रूप में स्थापित करना ।

(iv) ई-पंचायत एप्लिकेशनों अर्थात पीएफएमएस, जीईएम , केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) / केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सिस्टम अर्थात जीएसटी, टीडीएस आदि, राज्य विशिष्ट एप्लिकेशन जैसे राज्य कोष प्रणाली, आदि के लिए सांविधिक कटौती।

(v) विभिन्न आंतरिक और बाहरी निगरानी पहलों जैसे योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क, एसडीजी की निगरानी, मिशन अंत्योदय अंतराल आदि को एकीकृत करते हुए पंचायत डेटा का बृहद डेटा एनालिटिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन।

(vi) पंचायत एप्लिकेशन आदि पर प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना।

(vii) **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** (एनआरएससी) को वित्त पोषण ताकि जीआईएस प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग कर व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना सुनिश्चित की जा सके।

(viii) पंचायत योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में पंचायत प्रोफाइल के विवरण/सूचना को बनाए रखना ।

(ix) पंचायतों द्वारा प्रगति रिपोर्टिंग/ऑनलाइन भुगतान के दौरान परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग।

(x) मिशन अंत्योदय (एमए) सर्वेक्षण और उसके बाद के मापदंडों के आधार पर राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों की रैंकिंग के लिए ई-ग्राम स्वराज में पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली (पीडीएसएस) का प्रावधान किया गया है ।

(xi) सूचित निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड।

7.4.3 पंचायतें, जो स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G में निर्धारित बुनियादी सेवाओं के वितरण के साथ सौंपे जाने के नाते, ई-गवर्नेंस भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों /पहलों के लिए मात्रात्मक और डेटा संचालित साक्ष्य प्रदान करते हुए उपाय प्रभावी निर्णय लेने और कार्य निष्पादन माप के केंद्र में होंगे। संशोधित आरजीएसए के तहत कई पहल/अभियान/ कार्यक्रम शुरू/लांच किए जाने की उम्मीद है, जिसमें डैशबोर्ड/एमआईएस/ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों आदि का विकास शामिल होगा। ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता सचिव, पंचायती राज के अनुमोदन से संशोधित आरजीएसए की ई- पंचायत पर मिशन मोड परियोजना के केन्द्रीय घटक के अंतर्गत ली जा सकती है।

7.4.4 निधि कार्यान्वयन एजेंसी को तीन किस्तों अर्थात 50:25:25 के अनुपात में जारी किया जाएगा। अग्रिम भुगतान निर्धारित प्रारूप के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जारी किए जाने वाले एमओपीआर के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड के समक्ष दिया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसी जीईएम /जीएफ़आर नियम के अनुसार किए जा रहे अग्रिम भुगतान के समक्ष पर्याप्त सुरक्षा (बैंक गारंटी, आदि) भी प्रदान करेगी । बाद की रिलीज जीएफआर आवश्यकताओं की पूर्ति / डीओई / एमओएफ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और पिछली किश्तों में जारी की गई धनराशि के लिए व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर आधारित होगी।

7.5 पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण :

7.5.1 प्रस्तावना: पुरस्कार हमेशा प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत रहे हैं और अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार विजेताओं की उचित मान्यता एक प्रोत्साहन है और उन्हें विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अच्छे कार्यों की मान्यता में, पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत पुरस्कारों और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों /राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देता है।

7.5.2 पंचायतों /राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों और विषयगत क्षेत्रों के तहत प्रदान किए जाएंगे जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित होते हैं, जबकि ठोस विकास के मूल सार के साथ परिणाम - आधारित मापदंडों और विषयों के माध्यम से प्रदर्शन को मापने के गुणात्मक पहलू को बनाए रखते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर अपनाए गए हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर अच्छे प्रदर्शन करने वाली पंचायतों की उपयुक्त पहचान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को प्रेरणा दी जाएगी।

7.5.3 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एसआईआरडी, पीआरआईटी आदि को ईआर, पदाधिकारियों और पीआरआई के अन्य हितधारकों को सक्षम करने और एलएसडीजी में सहयोग देने में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए मान्यता/ प्रोत्साहन ।

7.5.4 एसडीजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से स्थापित पंचायत योजना के प्रोत्साहन की भागीदारी प्रकृति योजना के लिए व्यापक आधार सुनिश्चित करेगी।

7.5.5 योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पंचायतों को उनके प्रयासों की सराहना करने और दूसरों को प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कार राशि सीधे पुरस्कार प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी यह उनके प्रदर्शन के लिए एक सांकेतिक प्रोत्साहन होगा।

7.5.6 योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान प्रोत्साहन को और अधिक मजबूत और आवश्यकता आधारित बनाने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे ।

7.5.7 पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण के सभी योजनाबद्ध पहलुओं के प्रभावी और उद्देश्य आधारित कार्यान्वयन के लिए, इस घटक के तहत गतिशील, सक्षम पेशेवरों की एक समर्पित टीम अर्थात सलाहकार, युवा पेशेवर, इंटर्न आदि बनाए जाएंगे जो विशेष रूप से योजना के निर्माण, कार्यान्वयन, सुधार, संशोधन और संबंधित पहलुओं के लिए काम करेंगे और जो पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण के माध्यम से वित्तपोषित आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक होंगे। सलाहकारों, युवा पेशेवरों, इंटर्न आदि के संबंध में विस्तृत आवश्यकताओं जैसे संख्या, योग्यता, पारिश्रमिक, संलग्न करने का तरीका आदि सचिव, पंचायती राज के अनुमोदन और आईएफडी की वित्तीय सहमति से तय किया जाएगा ।

7.5.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान : पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विकास घाटे को दूर करने की प्रतिबद्धता के रूप में और विकास के लिए अधिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्यों को शामिल करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से, वार्षिक बजटीय प्रावधान के एक हिस्से का निर्धारण पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के अन्तर्गत बजट उपलब्ध होने पर समुचित रूप से किया जायेगा ।

7.5.9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए अधिकारियों/बाहरी विशेषज्ञों के फील्ड दौरों हेतु जागरूकता सृजन, अभिविन्यास कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों , मानदेय/अन्य खर्चों का भुगतान, पुरस्कारों की खरीद की व्यवस्था करना, विभिन्न प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए जो विभागाध्यक्ष की वित्तीय सीमा के अन्दर है, उनका पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना घटक के अन्तर्गत प्रावधान किया जायेगा।

7.6 कार्य अनुसंधान और प्रचार:

कार्य अनुसंधान और प्रचार स्कीम दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यानी (क) मीडिया और प्रचार और (ख) एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज (एआर एंड आरएस) को मिलाकर बनाई गई है। उक्त केंद्रीय घटक का कार्यान्वयन ढांचा निम्नानुसार है:

(क) प्रचार:

परिभाषा: पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए सभी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां।

7.6.1 कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और इसी तरह की गतिविधियों सहित विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से, हितधारकों के साथ बातचीत करने, नीति निर्माताओं और पीआरआई के बीच दोतरफा संचार को सुविधाजनक बनाने में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

(i) एक किराए की एजेंसी के माध्यम से समाचार पत्र / समाचार पत्रिका) वास्तविक प्रति या ई-बुक (का प्रकाशन और प्रसार ।

(ii) लेख के योगदान के लिए लेखकों को शुल्क का भुगतान।

(iii) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मेलों, मेलों और त्योहारों में भागीदारी जहां ग्रामीण आबादी की काफी भागीदारी है जो आईईसी गतिविधियों के लिए अपेक्षित है जैसा कि 'प्रचार' शब्द में परिभाषित किया गया है।

(iv) सभी आईईसी गतिविधियों में प्रमुख वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों आदि के साथ सहयोग करके ग्रामीण केंद्रित विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।

(v) एमओपीआर के अनुरोध पर या अपने स्वयं के और एमओपीआर से अनुरोध किए गए आंशिक वित्त पोषण पर किए गए स्थानीय- पंचायत - केंद्रित आईईसी अभियानों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए आईईसी गतिविधियों को वित्तपोषित करना ।

(vi) एमओपीआर की अन्य आईईसी गतिविधियों की देखरेख के लिए अनुभवी कर्मियों को शामिल करके सोशल मीडिया हस्तक्षेप और डिजिटल प्लेटफॉर्म को गति देता है।

(vii) श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों का प्रसारण और टेलिकास्ट - रेडियो कार्यक्रम और राज्यों या राष्ट्रीय प्रसारकों, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और एफएम चैनलों के माध्यम से इसका प्रसार करना।

(viii) हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) मनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन या राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन।

(ix) सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन

(x) प्रिंट मीडिया में विज्ञापन

(xi) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रसार भारती या विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों का प्रसारण / टेलिकास्ट

(xii) बुलेटिन, रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, वॉल-कैलेंडर आदि का मुद्रण और प्रकाशन।

(xiii) एमओपीआर की आईईसी गतिविधियों को बढ़ाने में अभिनव प्रस्ताव ।

(xiv) पंचायती राज पर प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताएं और पुरस्कार राशि जारी करना।

(xv) बाहरी विशेषज्ञों/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को शुल्क का भुगतान।

(xvi) विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मीडिया/मल्टी-मीडिया/विज्ञापन/इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों की नियुक्ति/ तैनाती।

(xvii) पत्रकारों/अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों को प्रायोजित करना।

(xviii) बड़े पैमाने पर प्रसारित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन और विशेष सुविधाओं का विमोचन।

(xix) नए, नवोन्मेषी और डिजिटल मीडिया वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, बैनर, झांकी / स्टालों के निर्माण आदि के माध्यम से आउटडोर अभियान।

(xx) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न मीडिया इकाइयों के पैनल में प्रिंटर/मल्टी-मीडिया एजेंसियों/डिजाइनरों/ प्रोडक्सन हाऊस के पैनल का निर्माण या प्रिंटर/मल्टी-मीडिया एजेंसियों/डिजाइनरों/उत्पादन-घरों की सेवाओं का उपयोग करना।

(xxi) प्रौद्योगिकी तेजी से सुधार कर रही है और जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। लक्षित दर्शकों की सूचना-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय आवश्यकता के अनुसार समकालीन नए, उभरते और नवोन्मेषी मीडिया का उपयोग करेगा।

सशक्त पंचायत सतत विकास

7.6.2 इस घटक के तहत रिलीज की जाने वाली किस्तों का निर्णय आईएफडी के परामर्श से सचिव, पंचायती राज के अनुमोदन से केस-दर-केस आधार पर किया जाएगा।

(ख) कार्रवाई पर शोध

**(i)** परिभाषा : नीति में सुधार के लिए कार्रवाई उन्मुख अनुसंधान और पंचायती राज (पीआर) क्षेत्र में विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन।

**(ii)** परियोजनाएं/गतिविधियां: घटक के तहत पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं, जैसे पंचायतों की संरचना और कामकाज, ग्राम सभाओं, पंचायत वित्त, पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, चुनाव, ई-सक्षमता, पेसा, पंचायतों से संबंधित कार्यक्रम और पंचायतों को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य मुद्दे के संबंध में अनुसंधान अध्ययन और कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। योजना में किए जाने वाले परियोजनाओं या गतिविधियों के प्रकार में शामिल हैं:

क) विभिन्न पहलुओं में पंचायतों की स्थिति का आकलन करने के लिए अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण ।

ख) नीतिगत दबाव और उनके प्रभाव, समवर्ती मूल्यांकन का विश्लेषण करने और भविष्य के उपायों का सुझाव देने के लिए अनुसंधान अध्ययन।

ग) कार्यक्रम मूल्यांकन।

घ) सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने की दृष्टि से पायलटों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कार्य अनुसंधान।

ङ) जनसंचार के पारंपरिक रूपों के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार करने के लिए "एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी" के तहत मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए / शुरू किए जाने वाले अभियानों के प्रभाव का आकलन करना, ताकि जमीनी स्तर पर पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जा सके ।

**(iii)** योजना के तहत अनुसंधान/कार्य अनुसंधान, सरकारी और गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जा सकता है, जो शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, फर्म, पंजीकृत समाज, त्रुटिहीन साख के प्रसिद्ध / प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी अन्य प्रकार के संगठन हो सकते हैं।

**(iv)** इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और नीचे उल्लिखित गतिविधियों और परियोजनाओं के संचालन में एक निश्चित अवधि के लिए एक उपयुक्त संस्थान के साथ एक

चेयर प्रदान करके या संबंधित विभाग/संकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन के साथ संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना:

क. एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज के लिए विषयों की पहचान, प्रस्तावों के मूल्यांकन और रिपोर्टों की जांच आदि में सहायता करना।

ख. अध्ययन के संदर्भ की शर्तें तैयार करना।

ग. मौलिक मुद्दों पर चर्चा शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पीआरआई और व्यक्तियों के विषयगत केस-स्टडी तैयार करना।

घ. राज्य अधिनियमों का अध्ययन और मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ङ. शक्तियों के हस्तांतरण का आवधिक मूल्यांकन।

च. मॉडल मैनुअल, नियम, क्षमता निर्माण इनपुट आदि तैयार करना।

छ. विकास का अध्ययन करना।

ज. शोध अध्ययनों के निष्कर्षों के क्रिस्टलीकरण और प्रसार के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

झ. नीति नियोजन और कार्यान्वयन के कार्य अनुसंधान मुद्दों पर मंत्रालय को सूचित करना और सलाह देना।

ञ. पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को सार्थक रूप से साकार करने के लिए परिणाम देने वाले कोई अन्य नवीन विचार।

ट. वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

नोट: आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विषयों पर एक से अधिक चेयर प्रोफेसर का गठन किया जा सकता है। अगले आदेश तक "क्षमता निर्माण" योजना के "पेशेवर सेवा" घटक से अध्यक्षों के पदों का गठन किया जाएगा। चेयर का गठन उस संस्थान/संगठन के परिसर के भीतर किया जाएगा, जिसके साथ चेयर का मुखिया जुड़ा हुआ है।

**(v)** समितियां:

(क) प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विशेष सचिव/अपर सचिव/वरिष्ठ सलाहकार (यदि कोई विशेष/ अपर सचिव एक्शन रिसर्च का प्रभारी नहीं है, तो एक्शन रिसर्च के प्रभारी संयुक्त सचिव अध्यक्ष होंगे) | अध्यक्ष |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | अध्ययन के विषय से संबंधित डिवजन के संयुक्त सचिव | सदस्य |
| 3. | एसएस/एएस और एफए, एमओपीआर के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | आयोग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | योजना से संबंधित संयुक्त सचिव/सलाहकार<br>(यदि संयुक्त सचिव/सलाहकार अध्यक्ष हैं, तो निदेशक/उप सचिव या सचिव पंचायती राज द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी सदस्य सचिव होगा)। | सदस्य संयोजक |

स्क्रीनिंग कमेटी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी:

- चल रहे प्रस्तावों की समीक्षा।
- पिछले अध्ययनों से अनुमोदित सिफारिशों को अपनाने की निगरानी करना।
- सीखने के प्रसार के लिए घटनाओं का आवधिक संचालन।
- विषयों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट-लिस्टिंग।
- प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और शॉर्ट-लिस्टिंग।
- सचिव पीआर द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(ख) प्रस्तावों को मंजूरी देने के उद्देश्य से अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) इस प्रकार होगी:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव जनसंपर्क | अध्यक्ष |
| 2. | आयोग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. | विशेष सचिव/अपर सचिव/वरिष्ठ सलाहकार, एमओपीआर | सदस्य |
| 4. | एएस एंड एफए, एमओपीआर | सदस्य |
| 5. | संयुक्त सचिव, एमओपीआर | सदस्य |
| 6. | विषय / डोमेन विशेषज्ञ (जैसा कि सचिव पीआर द्वारा तय किया गया है) | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | योजना से संबंधित सलाहकार/संयुक्त सचिव | सदस्य संयोजक |

अनुसंधान सलाहकार समिति प्रस्तावों के अंतिम अनुमोदन और परियोजना सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होगी।

**(vi)** प्रसंस्करण और अनुमोदन तंत्र

(क). विषयों की पहचान :

(i) आम जनता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से, राज्य जनसंपर्क विभाग के माध्यम से और संदेश, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अध्ययन के उद्देश्य के साथ पंचायतों / विषयों से संबंधित अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों पर अपने इनपुट प्रदान करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से इस मंत्रालय के संबंधित प्रभागों से विषयों की पहचान के लिए अनुरोध।

(ii) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विषयों की शॉर्ट-लिस्टिंग

(iii) सचिव पीआर द्वारा विषय/विषयों को अंतिम रूप देना।

(ख). टेंडर/ प्रस्ताव हेतु अनुरोध:

(i) अंतिम विषयों पर पैनलबद्ध/पहचान किए गए संस्थानों से प्रस्तावों के लिए अनुरोध।
(ii) अंतिम विषयों पर पैनलबद्ध/पहचान किए गए संस्थानों से प्रस्तावों का आमंत्रण।
(iii) जीएफआर के अनुसार निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावों के लिए अनुरोध।
(iv) पहचाने गए विषयों पर विशिष्ट संस्थानों (उपरोक्त (ii) के अलावा) से प्राप्त प्रस्ताव।
(v) पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रासंगिक विषयों पर संगठनों द्वारा आमंत्रण या स्वप्रेरणा द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य प्रस्ताव।

(ग). विशेष विषय/विषय पर प्रस्तावों का चयन, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार किया जाएगा:

(i) स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर क्यूसीबीएस या क्यूबीएस प्रक्रिया के माध्यम से जीएफआर-2017 के अनुसार विशेष विषय / विषय पर प्रस्तावों का चयन।

(ii) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावों की स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्ताव की उपयोगिता और व्यवहार्यता और संगठन की उपयुक्तता की जांच करेगी और आरएसी को इसकी सिफारिश करेगी।

(iii) सचिव पीआर की अध्यक्षता में अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) योजना के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सक्षम होगी।

(घ) रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

(i) इस योजना के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने वाली किसी भी एजेंसी को निर्धारित समय अवधि के भीतर मसौदा और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(ii) संगठन को अपने शोध के निष्कर्षों के संबंध में न्यूनतम एक और अधिकतम दो प्रस्तुतीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है।

(iii) एजेंसी मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए विशेषज्ञों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी।

(iv) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार एक नियम के रूप में नहीं दिया जाएगा और यदि सभी आवश्यकता उत्पन्न होती है (केवल असाधारण मामलों में) तो संगठन को विस्तार अवधि का दावा करने के लिए उचित वास्तविक साक्ष्य द्वारा समर्थित पर्याप्त कारण देना होगा।

(v) प्रारूप/अंतिम रिपोर्ट तथा इसकी तैयारी के लिए प्राप्त कोई भी प्रश्नावली/आंकड़े पंचायती राज मंत्रालय की संपत्ति होगी और इस पर संगठन का कोई दावा नहीं है।

ड. रिपोर्ट की स्वीकृति : स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(vii) फंडिंग पैटर्न

क. इस योजना के तहत जिन संस्थानों के प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ख. अनुदान तीन किश्तों में 30:30:40 के अनुपात में जारी किया जाएगा। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, आरएसी द्वारा तय किए जाने पर दो किश्तों में भी धनराशि जारी की जा सकती है।

ग. स्वीकृत लागत के 30% की पहली किस्त संगठन द्वारा निम्नलिखित जमा करने के बाद जारी की जाएगी:

i. सरकारी संगठन (वे संगठन जिनके खातों का सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाता है, उन्हें केवल सरकारी संगठन माना जाएगा) को निर्धारित प्रारूप में एक बांड जमा करना होगा और निजी एजेंसी/व्यक्ति को बैंक गारंटी/डीडी @ पुरस्कार राशि का 5%-10% के रूप में एक प्रदर्शन सुरक्षा देनी होगी - जीएफआर-2017 के अनुसार।

ii. अध्ययन के डिजाइन, कार्यप्रणाली और परियोजना टीम का विवरण, अध्ययन के विभिन्न चरणों की समयसीमा। उसी पर एक प्रस्तुति की आवश्यकता हो सकती है।

घ. स्वीकृत लागत के 30% की दूसरी किस्त निम्न को जारी की जाएगी:

(i) फील्डवर्क पूरा करना, यदि कोई हो, प्रथम ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना और अध्ययन पर संगठन द्वारा प्रस्तुतीकरण, यदि आवश्यक हो।

(ii) जारी किए गए फंड के 80% से अधिक के उपयोग का एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(iii) मदवार लेखा विवरण।

ड. स्वीकृत लागत की तीसरी/अंतिम किस्त जारी की जाएगी:

(i) सचिव, पंचायती राज द्वारा अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति।

(ii) एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित, स्वीकृत निधियों के उपयोग के प्रमाण पत्र का प्रावधान।

(iii) किए गए वास्तविक व्यय को दर्शाते हुए लेखा विवरण प्रस्तुत करना।

(iv) एजेंसी को अध्ययन के निष्कर्षों के उपयोग और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन का सुझाव देना होगा।

(v) सॉफ्ट कॉपी के साथ अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां जमा करना

च. समय-समय पर जारी भारत सरकार के लागू वित्तीय नियमों के आधार पर समझौता ज्ञापन में सहमत भुगतान अनुसूची के अनुसार होगा ।

(viii) अन्य नियम और शर्तें:

क. अनुदान के खातों को प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा अलग से रखा जाएगा और अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा परीक्षण ऑडिट के लिए खुला होगा।

ख. जारी की गई राशि का उपयोग योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

ग. यदि यह पाया जाता है कि अनुदान या उसके किसी भाग का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, तो प्राप्तकर्ता संगठन को उस पर अर्जित ब्याज के साथ एकमुश्त राशि वापस करनी होगी।

घ. यदि संगठन समय पर परियोजना को पूरा करने में असमर्थ है, तो मंत्रालय को प्रति सप्ताह देरी के लिए अनुबंध मूल्य के 1% की दर से और अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

ड. मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन के लिए यात्रा पर किया गया कोई भी व्यय संगठन द्वारा उन्हें स्वीकृत और स्वीकृत कुल लागत में से वहन किया जाएगा।

च. बड़ी परियोजनाओं के लिए, जहां अध्ययन किए जाने वाले राज्यों की संख्या अधिक है, या मुद्दे जटिल हैं, या रिपोर्ट को व्यापक रूप से साझा किया जाना है, आरएसी के अनुमोदन के बाद, परियोजना सलाहकार समितियों (पीएसी) का गठन किया जा सकता है। पीएसी के सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला मानदेय आरएसी द्वारा तय किया जा सकता है और समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

छ. अनुसंधान रिपोर्टों की जांच करने और टिप्पणी देने के लिए विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार अनुबंधित किया जा सकता है। ऐसे विशेषज्ञों को दिया जाने वाला मानदेय समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी मानदंडों के अनुसार तय किया जा सकता है।

(ग) 'एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी' के केंद्रीय घटक के तहत सलाहकारों / वाह्य व्यावसायिक सहायता की नियुक्ति

(i) आईईसी और कार्रवाई अनुसंधान गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने, निगरानी करने और वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्पित और विशिष्ट सलाहकारों ,युवा

पेशेवरों , इंटर्न आदि की नियुक्ति ' एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी ' के योजना घटक के तहत की जाएगी । इसे ' एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी' के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जो कि संशोधित आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है।

(ii) सलाहकारों, युवा पेशेवरों, इंटर्न आदि के संबंध में विस्तृत आवश्यकताओं जैसे संख्या, योग्यता, पारिश्रमिक, तैनाती का तरीका आदि सचिव, पंचायती राज और आईएफडी की वित्तीय सहमति के अनुमोदन से तय किया जाएगा।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## 7.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

7.7.1 कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम (सीएलजीएफ) 1995 में स्थापित एक गैर-सरकारी फोरम है, जिसकी उपस्थिति राष्ट्रमंडल के 40 से अधिक देशों में है, जिसमें कई संगठन स्थानीय सरकार के राष्ट्रीय और राज्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फोरम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सूचना / विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच / राय/आवाज प्रदान करता है। सीएलजीएफ की विभिन्न गतिविधियां जैसे अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रकाशन, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ इंटरफेस और स्थानीय शासन में विनिमय कार्यक्रम आरजीएसए के तहत गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन पर एमओपीआर के विभिन्न आदेशों को पूरा करने के लिए उपयोगी इनपुट होंगे।

7.7.2 राष्ट्रमंडल देश सीएलजीएफ के सदस्य हैं और भारत (पंचायती राज मंत्रालय) 2007 से सीएलजीएफ का सदस्य होने के नाते वार्षिक सदस्यता शुल्क/योगदान का भुगतान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने 20 नवंबर, 2020 के अपने पत्राचार के माध्यम से एमओपीआर को सीएलजीएफ की सदस्यता जारी रखने की सलाह दी है। तदनुसार, एमओपीआर इस केंद्रीय घटक के तहत सीएलजीएफ के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान जारी रखेगा।

7.7.3 वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान का भुगतान एक ही किश्त में किया जाएगा।

## 7.8 राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संस्थागत तंत्रों की परिकल्पना की गई है:

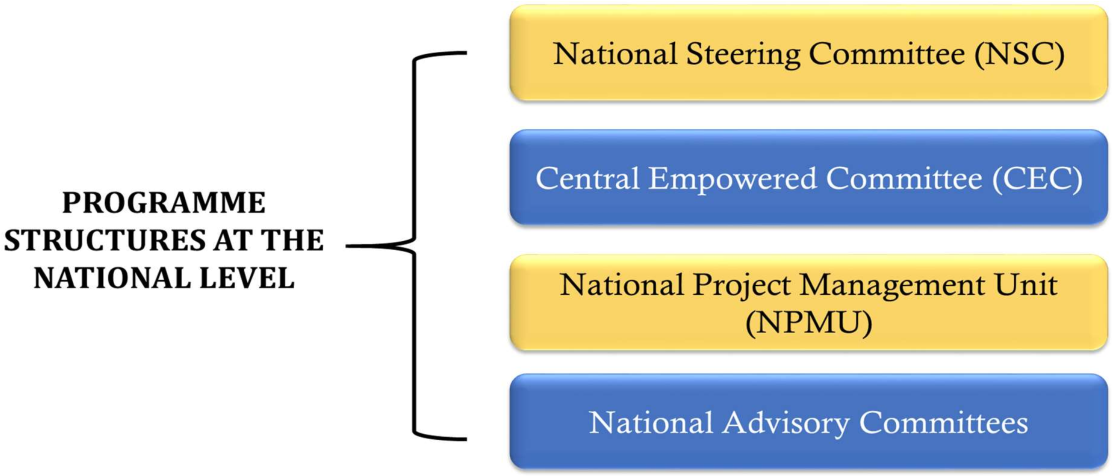

7.8.1 राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) :

योजना के तहत समग्र मार्गदर्शन और नीति निर्देश माननीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त एनएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा। एनएससी की संरचना निम्नलिखित होगी। बैठकों के लिए विशेष आमंत्रितों को भी आमंत्रित किया जा सकता है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पंचायती राज मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | पंचायती राज राज्य मंत्री | सदस्य |
| 3. | ग्रामीण विकास राज्य मंत्री | सदस्य |
| 4. | पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री | सदस्य |
| 5. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री | सदस्य |
| 6. | महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री | सदस्य |
| 7. | नीति आयोग के सीईओ या प्रतिनिधि | सदस्य |
| 8. | सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य |
| 9. | अच्छा प्रदर्शन करने वाले 2 राज्यों के पंचायती राज मंत्री (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| 10. | पंचायती राज के क्षेत्र में कार्यरत 2 प्रख्यात व्यक्ति | सदस्य |
| 11. | सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 12. | सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों की 2 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि | सदस्य |

सशक्त पंचायत सतत विकास

| | | |
|---|---|---|
| 13. | एसएस और एफए / एएस और एफए, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य |
| 14. | विशेष/अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य सचिव |
| 15. | आरजीएसए से संबंधित संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य |

7.8.2 केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी):

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सीईसी, आरजीएसए होगा। सीईसी की अध्यक्षता सचिव, पंचायती राज करेंगे। बैठकों के लिए विशेष आमंत्रितों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। सीईसी की स्वरूप संरचना नीचे दी गई है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. | नीति आयोग के प्रतिनिधि , जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो | सदस्य |
| 3. | सचिव व्यय विभाग भारत सरकार या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 4. | सचिव कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 5. | सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 6. | सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 7. | सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 8. | सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 10. | सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 11. | सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 12. | सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 13. | सचिव, डीओएनईआर मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 14. | सचिव, महिला एवं बाल मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो | सदस्य |
| 15. | एसएस और एफए / एएस और एफए, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य |
| 16. | पंचायती राज मंत्रालय में सभी एसएस, एएस और जेएस स्तर के अधिकारीगण | सदस्य |
| 17. | महानिदेशक एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद | सदस्य |
| 18. | हस्तांतरण सूचकांक के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले 2 राज्यों के पंचायती राज सचिव | सदस्य |
| 19. | पंचायती राज के क्षेत्र में कार्यरत 2 प्रख्यात व्यक्ति | सदस्य |
| 20. | सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 21. | सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों की 2 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि | सदस्य |
| 22. | 2 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 23. | आरजीएसए से संबंधित संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय | सदस्य सचिव |

7.8.3 सीईसी को राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना (एनपीटीए), एनआईआरडी एंड पीआर और अन्य

उत्कृष्टतापूर्ण संस्थानों और सीईसी के समक्ष लाए गए अन्य गतिविधियों के केंद्रीय घटकों के तहत राज्य योजनाओं और हस्तक्षेपों को मंजूरी देने का अधिकार है । योजनाओं की जांच के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा सीईसी की सहायता की जाएगी। एक बार स्वीकृत होने के बाद, वित्तीय प्रतिबंधों से संबंधित सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए धनराशि जारी की जाएगी। सीईसी को योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को अनुमोदित या संशोधित करने का भी अधिकार है, जिसमें अनुरोध के अनुसार मानदंडों और योजना घटकों के भीतर किसी भी तरह का समायोजन शामिल है। सीईसी अध्ययन शुरू कर सकता है और योजना के विभिन्न पहलुओं पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिए टीमों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है।

### 7.8.4 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) :

(i) यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एक एनपीएमयू स्थापित करेगा जो एमओपीआर में रखा जाएगा और एमओपीआर को पेशेवर और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के समन्वयक निकाय और संशोधित आरजीएसए के घटकों के रूप में कार्य करेगा। संशोधित आरजीएसए के तहत विभिन्न इकाइयों और प्रकोष्ठों से युक्त एनपीएमयू में दीर्घकालिक और अल्पावधि दोनों के सलाहकार होंगे, इंटर्न, आईटी पेशेवर और सहायक कर्मचारी (अर्थात, कार्यालय सहायक और मल्टी-टास्किंग स्टाफ) जो निगरानी, अनुसंधान, क्रॉस स्टेट लर्निंग, अभियान, सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के साथ अभिनव गतिविधियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, राज्य कार्यक्रमों / संबन्धित मंत्रालयों के साथ समन्वय, संशोधित आरजीएसए और इसके केंद्रीय घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखभाल करेंगे।

(ii) एनपीएमयू योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में मंत्रालय की सहायता करेगा और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और शासन के मुद्दों पर राज्यों को तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान करने और प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए परिकल्पित है। एनपीएमयू में निम्नलिखित इकाइयां और सेल शामिल होंगे :

क. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्रकोष्ठ - सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों को देखने के लिए विषयगत विशेषज्ञ से युक्त

ख. क्षमता निर्माण इकाई - योजना के तहत प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग, अनुसंधान और विश्लेषण, सीबी एंड टी गतिविधियों में क्रॉस स्टेट लर्निंग आदि से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए।

ग. राज्य निगरानी इकाई – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरजीएसए के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को संभालने और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए।

घ. पंचायत योजना और मूल्यांकन प्रकोष्ठ (पीपीईसी) – योजना और एलएसडीजी के सुधार और सुचारू कार्यान्वयन के लिए बेहतर निर्णय लेने के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी), डेटा विश्लेषण, डेटा प्रबंधन, व्याख्या और नीतिगत हस्तक्षेप के प्रबंधन के लिए।

ङ. प्रशासनिक और वित्तीय डेटा योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ

च. संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन के दौरान आवश्यकता के अनुसार बना कोई अन्य विशिष्ट या सामान्य प्रकोष्ठ।

(iii) एनपीएमयू में उपर्युक्त इकाइयाँ / सेल शामिल होंगे और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए लचीलापन होगा। पैरा 7.2.2 और 7.8.4 में उल्लिखित एनपीएमयू की विभिन्न इकाइयों/ सेल के तहत संख्या, योग्यता, पारिश्रमिक, संलग्न करने के तरीके आदि जैसी विस्तृत आवश्यकताओं को सचिव, पंचायती राज और आईएफडी की वित्तीय सहमति के अनुमोदन से तय किया जाएगा। आरजीएसए (2018-19 से 2021-22) के एनपीएमयू/पीपीईसी आदि के मौजूदा सलाहकारों का कार्यकाल सचिव, पंचायती राज और आईएफडी की वित्तीय सहमति के अनुमोदन से समान नियमों और शर्तों पर संशोधित आरजीएसए के तहत बढ़ाया जा सकता है ।

(iv) संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन में ये एनपीएमयू इकाइयाँ राज्यों और पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी, और क्रॉस स्टेट शेयरिंग, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन आदि में भाग लेंगी। वे राज्यों की सहायता भी करेंगी:

- व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करना।
- क्रॉस स्टेट शेयरिंग वर्कशॉप और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं और सेमिनारों के साथ-साथ प्रलेखन के माध्यम से अंतर-राज्यीय अनुभव साझा करने की गतिविधियों को सुगम बनाना।
- उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- इकाइयों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं सहित प्रस्तावों का मूल्यांकन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय मुद्दों को उचित रूप से संबोधित किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण में रणनीति तैयार करना और सहायता प्रदान करना ।

7.8.5 सलाहकार समितियां:

7 से 10 डोमेन विशेषज्ञों और संबंधित विभागों/मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से युक्त एक सलाहकार समिति का गठन किया जा सकता है, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 9 विषयों और थीम के लिए कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। संभावित सलाहकार समूह हैं:

1. गरीबी मुक्त गांव
2. स्वस्थ गांव
3. बाल-हितैषी गांव
4. जल पर्याप्त गांव
5. स्वच्छ और हरित गांव
6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव
7. सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव
8. सुशासन वाला गांव
9. महिला हितैषी गांव
10. ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के लिए सामान्य

## अध्याय – 8

## राज्य घटक

8.1 योजना के राज्य घटक में प्राथमिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) शामिल है। निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) के लिए प्रशिक्षण का फोकस उन्हें उन 29 विषय क्षेत्रों पर कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार करना है जो पंचायतों को सौंपे जाने हैं। संशोधित आरजीएसए योजना के तहत व्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र हैं: स्थानीय स्वशासन, पंचायत वित्त सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) सृजन, ई-ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एसडीजी) विशेष रूप से 9 विषयों पर। यह एसडीजी की प्राप्ति के लिए पहचाने गए अंतराल और महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पंचायत के संबंधित स्तर पर गुणवत्ता संरचित, एकीकृत, भागीदारी, समावेशी और अभिसरण पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

8.2 पीआरआई के सीबी एंड टी के लिए आरजीएसए के तहत समर्थित **उल्लेखनीय गतिविधियां हैं: (क) चुनाव के 6 महीने के भीतर नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम और 2 साल के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**; **(ख) राज्य, जिला और जीपी के ब्लॉक/क्लस्टर में प्रशिक्षण** निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) और पंचायतों के पदाधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, प्रशिक्षकों / मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए स्तर; (ग) प्रशिक्षण के भौतिक/वर्चुअल/ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड; (घ) एसडीजी के साथ गठबंधन पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सहायता के लिए शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), नीति आयोग के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ सहयोग; (ङ) प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए), प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री का विकास, मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन; (च) क्रॉस लर्निंग के लिए पीआरआई के लिए एक्सपोजर विज़िट (राज्य के भीतर और बाहर दोनों); (छ) पंचायत अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए सहायता; (ज) एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में प्रशिक्षकों / मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण; (झ) पंचायतों के सभी स्तरों और ऐसी अन्य गतिविधियों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए ईआर को सक्षम करने के लिए उत्कृष्टता संस्थानों/प्रतिष्ठित संस्थानों की नियुक्ति।

8.3 इस योजना के तहत अन्य गतिविधियां हैं: संस्थागत आधारभूत संरचना और मानव संसाधन, दूरस्थ शिक्षा सुविधा, पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, ***कार्यक्रम प्रबंधन इकाई,*** पंचायत की ई-सक्षमता, पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता, नवाचार के लिए समर्थन (नवीन गतिविधियां), आर्थिक विकास और आय वृद्धि, आईईसी गतिविधियों और

कार्यक्रम प्रबंधन के लिए परियोजना आधारित समर्थन। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजना के तहत अनुमत गतिविधियों की सूची से अपनी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार गतिविधियों को करने के लिए केंद्रीय वित्तपोषण की योजना तैयार करें।

8.4 संशोधित आरजीएसए योजना के राज्य घटकों के तहत वर्ष-वार और घटक-वार आवंटन निम्नानुसार है:

**राज्य के घटकों के लिए बजट**

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य के घटक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण | 466.77 | 533.57 | 584.36 | 590.16 | 2174.86 |
| 2. | संस्थागत अवसंरचना और मानव संसाधन | 129.03 | 129.03 | 129.03 | 129.03 | 516.12 |
| 3. | सैटकॉम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/इसी तरह की तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 |
| 4. | पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता | 100.00 | 175.00 | 350.00 | 375.00 | 1000.00 |
| 5. | कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) | 190.60 | 295.20 | 230.26 | 279.98 | 996.04 |
| 6. | पंचायतों का ई-सक्षमीकरण | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 30.00 |
| 7. | पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 422.76 |

| क्र.सं. | राज्य के घटक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | नवाचार के लिए सहायता (अभिनव गतिविधियों) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 68.00 |
| 9. | आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 92.00 |
| 10. | आईईसी गतिविधियां (2%) | 20.99 | 25.92 | 29.14 | 30.75 | 106.80 |
| 1 1। | कार्यक्रम प्रबंधन (1.5%) | 15.74 | 19.44 | 21.85 | 23.06 | 80.09 |
| | **कुल** | **1086.32** | **1341.35** | **1507.83** | **1591.17** | **5526.67** |

## 8.5 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी)

8.5.1 पंचायतों के विभिन्न हितधारकों का सीबी एंड टी एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या के साथ-साथ हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उच्च गुणवत्ता और संदर्भ विशिष्ट सीबी एंड टी सुनिश्चित करते हुए इस विविध समूह तक पहुंचने की चुनौती है। इसके अलावा, चूंकि पंचायतें स्थानीय सरकारें हैं, इसलिए कवर किए जाने वाले विषय भी बड़े हैं, जिनमें स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर), ई-ग्रामस्वराज, ऑडिट ऑनलाइन, हस्तांतरण सहित पंचायत वित्त शामिल हैं । पंचायतों को शक्तियों का सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण विशेष रूप से 9 विषयों पर, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई), कार्बन तटस्थता, अनुबंध/ करार प्रबंधन या राज्य की विशिष्ट आवश्यकता के लिए कोई अन्य प्रशिक्षण।

8.5.2 वित्त आयोग (सीएफसी /एसएफसी) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को दिए जा रहे अनुदानों में वृद्धि के संदर्भ में सीबी एंड टी की चुनौती और बढ़ गई है, गुणवत्ता पंचायत विकास योजना तैयार करना {ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) / ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी)/जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी)} संबंधित स्तर पर और सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों के समेकित और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से एसडीजी की उपलब्धि।

8.5.3 संशोधित आरजीएसए की योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के जीवंत केंद्रों के रूप में फिर से कल्पना करने पर है, जिसमें जमीनी स्तर पर विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

8.5.4 यह योजना नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए ईआर की शासन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए **अन्य मंत्रालयों/विभागों की क्षमता निर्माण पहलों को अभिसरण करेगी** ; एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए ग्राम/ब्लॉक/जिला पंचायत विकास योजनाओं की समग्र, समावेशी और अभिसरण तैयारी के लिए लाइन विभागों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों को सक्षम बनाना। अभिसरण में व्यापक रूप से प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण अवसंरचना/संस्थान, आईईसी सामग्री आदि शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पारंपरिक निकायों सहित ग्रामीण स्थानीय निकायों के क्षेत्र समर्थक शामिल किए जाने हैं, जो अपने संबंधित क्षेत्र में पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

8.5.5 पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास के संचालकों और स्थानिक विकास के नोड्स के रूप में विकसित करने के लिए, एक नए 'इको-सिस्टम' दृष्टिकोण के साथ सीबी एंड टी की कल्पना करना आवश्यक है जिसमें सभी हितधारक पीआरआई को पूर्णता प्राप्त करने के लिए सुविधा और समर्थन देने के लिए एक साथ आते हैं। समावेशी और सतत विकास। इसलिए, ईआर को, जो हर पांच साल में नए प्रवेशकों के रूप में चुने जाते हैं और पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अन्य सभी हितधारकों को पूर्वोक्त दृष्टि को साकार करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

8.5.6 संशोधित आरजीएसए के तहत सीबी एंड टी गतिविधियां निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होंगी:

(i) पंचायतों को केवल 'कार्यान्वयन एजेंसियों' के बजाय स्थानीय स्वशासन और विकास इंजन की मजबूत इकाइयों के रूप में देखें;

(ii) 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण वाले 'इको-सिस्टम' को अपनाना;

(iii) पूर्वोक्त राष्ट्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए सीबी एंड टी की सामग्री को नया स्वरूप दें;

(iv) सभी सीबी एंड टी कार्यक्रमों में नई उभरती प्रौद्योगिकियों का उचित उपयोग;

(v) सीबी एंड टी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रोत्साहनों को जोड़ना;

(vi) सीबी एंड टी गतिविधियों के लिए संस्थानों के लिए उपयुक्त मानक स्थापित करना;

(vii) क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) / शैक्षणिक उत्कृष्टता के अन्य संस्थान उपरोक्त अभ्यास में 'सूचना के भागीदार' के रूप में

8 .5.7 संशोधित आरजीएसए के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों को व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर इमर्सिव और लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए यानी डिलिवरेबल्स के साथ जोड़कर सीखना। चूंकि ईआर और आरएलबी के अन्य हितधारक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रशिक्षण के आभासी और आमने-सामने मोड के उपयुक्त मिश्रण को अपनाया जाएगा। प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लक्षित समूहों के लिए अनुकूलित ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल जैसे एनीमेशन वीडियो, ऑडियो, ई-पोस्टर आदि विकसित किए जाएंगे। संवर्धित वास्तविकता (एआर), आभासी वास्तविकता (वीआर), मेटावर्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के परामर्श से किया जा सकता है ताकि पंचायतों को एसडीजी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

8.5.8 ईआर और आरएलबी के अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन (टीएनए) और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षण नीति ढांचे का विकास, प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग को एम्बेड करना और किसी भी समय स्व-शिक्षण और स्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाना। सीबीसी के साथ परामर्श।

8.5.9 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईआर और आरएलबी के अन्य हितधारकों के टीएनए को एनआईआरडी एंड पीआर/राज्यों/सीबीसी आदि को पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से अधिमानतः कर सकते हैं।

8.5.10 मंत्रालय का क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी है। मंत्रालय राज्यों में ज्ञान आधारित गतिविधियों जैसे कार्य पुस्तिकाओं, प्रश्नोत्तरी, हेल्पडेस्क, नुक्कड़ नाटकों, ईआर के एक्सपोजर विजिट आदि को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। वयस्क प्रशिक्षण / सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक पंचायत का अनिवार्य दौरा, मोड में सुधार होगा। दृश्य एड्स फिल्मों और इंटरैक्टिव ई-लर्निंग आदि पर जोर देने के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सामग्री का वितरण। अन्य गतिविधियों में विभागीय अधिकारियों और एसआईआरडी / पीआरटीआई के लिए कार्यशालाएं, राज्य संसाधन का अभिविन्यास और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सहायक संसाधन सामग्री / मैनुअल तैयार करना शामिल है। राज्यों को दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करनी होंगी और उन्हें मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एमओपीआर को प्रस्तुत करना होगा। राज्यों द्वारा वार्षिक योजनाओं को एक आवश्यकता मूल्यांकन और एक प्रक्रिया के बाद तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसमें ईआर, पीएफ और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास राज्यों की विशिष्ट सीबी एंड टी योजनाओं को विकसित/ तैयार करने का लचीलापन होगा।

### 8.6 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा (एनसीबीएफ):

8.6.1 एक विस्तृत एनसीबीएफ-2014 तैयार किया गया और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया, जो पीआरआई की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, संसाधन व्यक्तियों, कार्यान्वयन को लागू करना, निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम मानदंड, विषय, अवधि, लक्ष्य समूह और शैक्षणिक सॉफ्टवेयर के लिए लचीला दिशानिर्देश प्रदान करता है। राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं को एनसीबीएफ की पुष्टि करनी चाहिए।

8.6.2 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एनसीबीएफ -2014 पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ताकि पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया जा सके, बदलते शासन तंत्र और पीआरआई द्वारा उभरती जरूरतों को पूरा करने पर विचार किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए एनसीबीएफ की सिफारिशों पर विचार करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है।

### 8.7 संशोधित आरजीएसए के तहत राज्य अपनी क्षमता निर्माण योजना को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख सकते हैं:

(i) योजनाओं को तैयार करने से पहले की जाने वाली गतिविधियों में शामिल होना चाहिए:

- क. प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए)
- ख. ईआर, पीएफ और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श
- ग. प्रशिक्षकों का आकलन
- घ. मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) के प्रशिक्षण की योजना
- ङ. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी मूल्यांकन

(ii) सीबी एंड टी गतिविधियां पंचायती राज संस्थाओं के लिए संशोधित एनसीबीएफ पर आधारित होंगी

(iii) नव निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों पर ध्यान देने के साथ चरणबद्ध पूर्णता दृष्टिकोण का पालन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

सशक्त पंचायत सतत विकास

(iv) नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन के 6 माह के भीतर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाना है। ईआर के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम उनके चुनाव के दो वर्षों के भीतर संचालित किए जाएंगे।

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समूहों की महिला ईआर और ईआर के लिए विशेष लक्षित क्षमता निर्माण हस्तक्षेप किया जाना है।

(vi) पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीबी एंड टी कार्यक्रम नेतृत्व विकास, स्थानीय नियोजन, कार्यालय प्रबंधन, स्वयं के स्रोत राजस्व सृजन, विभिन्न योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन, महिला सशक्तिकरण , अनुबंध/ करार प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

(vii) जमीनी स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विभिन्न एसडीजी के साथ संरेखित 9 विषयगत क्षेत्रों (एलएसडीजी पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए) में प्रशिक्षण

(viii) प्रशिक्षण योजना में पंचायत पुरस्कारों की योजना पर मॉड्यूल भी शामिल करना।

(ix) जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी की तैयारी, कार्यान्वयन और अन्य पहलुओं पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(x) राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह ईआर और पीएफ के लिए एक्सपोजर विजिट।

(xi) आदर्श पंचायतों का विकास पंचायत अध्ययन केन्द्रों (पीएलसी)/विसर्जन स्थलों के रूप में करना जहां नियमित रूप से एक्सपोजर दौरे आयोजित किए जा सकते हैं।

(xii) पंचायती राज संस्थाओं के अलावा, जिला कलेक्टरों/जिला सीईओ/जिला पंचायत/ब्लॉक स्तर के ईआर के लिए आरजीएसए के तहत विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

(xiii) आवश्यक अंतराल पर प्रशिक्षु मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान

(xiv) नवसाक्षरों के लिए तैयार संदर्भ सामग्री पंचायतों में वापस आने पर प्रशिक्षणार्थियों को संदर्भ हेतु देना।

**8.8 मोटे तौर पर राज्य निम्नलिखित श्रेणियों में सीबी एंड टी गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे:**

| **क्र.सं.** | **प्रशिक्षण श्रेणी** | **प्रशिक्षण विषय** |
|---|---|---|
| 1. | ईआर के लिए सामान्य अभिविन्यास प्रशिक्षण 6 महीने के भीतर | एलएसडीजी पर विषयगत दृष्टिकोण की शुरूआत के साथ 29 विषयों को कवर करने वाले पीआरआई के कामकाज |
| 2. | 2 वर्षों के भीतर ईआर के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण | एलएसडीजी पर विषयगत दृष्टिकोण की शुरूआत के साथ 29 विषयों को कवर करने वाले पीआरआई के कामकाज |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण | पर विषयगत दृष्टिकोण की ओर उन्मुख ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) |
| | | पर विषयगत दृष्टिकोण की ओर उन्मुख ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) |
| | | पर विषयगत दृष्टिकोण की ओर उन्मुख जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) |
| 4. | विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण / क्षेत्र को सक्रिय करने वाले प्रशिक्षण | (i) गरीबी मुक्त गांव |
| | | (ii) स्वस्थ गांव |
| | | (iii) बाल-हितैषी गांव |
| | | (iv) जल पर्याप्त गांव |
| | | (v) स्वच्छ और हरित गांव |
| | | (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव |
| | | (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव |
| | | (viii) सुशासन वाला गांव |
| | | (ix) महिला हितैषी गांव |
| 5. | विशेष प्रशिक्षण | ई-गवर्नेंस / डिजिटल साक्षरता |
| | | पेसा |
| | | खुद का राजस्व स्रोत |
| | | विभिन्न डिजिटल पोर्टलों और प्लेटफार्मों के माध्यम से एमआईएस |
| | | ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) |
| | | अनुबंध प्रबंधन |
| | | एसएचजी-पीआरआई अभिसरण |
| | | कार्बन तटस्थता |
| 6. | कोई अन्य प्रशिक्षण | राज्य विशिष्ट/उभरती जरूरतों के अनुसार |

## 8.9 आरजीएसए के तहत पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:

8.9.1 सीबी एंड टी कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व के विषयों और स्थानीय स्वशासन, ई-पंचायत पहल, लैंगिक सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कल्याण, स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) को तैयार करना आदि जैसे अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पहचानी गई कमियों और महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पंचायत के संबंधित स्तर पर गुणवत्ता संरचित, एकीकृत, भागीदारी, समावेशी और

अभिसरण योजनाओं की तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। पीआरआई के सीबी एंड टी के लिए आरजीएसए के तहत सहायता प्राप्त करने वाली उल्लेखनीय गतिविधियां निम्न है:

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए एक सतत चक्रीय दृष्टिकोण का समर्थन किया जाएगा। इस चक्र में टीएनए, उपयुक्त उपकरण/प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्रियों को तैयार करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षणों का संचालन, प्रशिक्षणों पर नज़र रखना, प्रशिक्षण का स्वतंत्र मूल्यांकन, राष्ट्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप सीबी एंड टी सामग्री को फिर से डिजाइन करना शामिल होना चाहिए।

(ii) ई-मॉड्यूल, ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल ऐप, मुद्रित सामग्री, यथेष्ठ पद्धतियों पर लघु फिल्म, रेडियो और अन्य माध्यमों के माध्यम से प्रसार के लिए ऑडियो सामग्री और सामग्री के प्रसार के अन्य रूपों सहित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास।

(iii) गुणवत्ता प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और पंचायती राज संस्थाओं के लिए एमटी के पूल के विकास के लिए उत्कृष्टता संस्थानों / विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / शिक्षाविदों / संकायों के साथ सहयोग / नेटवर्किंग का समर्थन किया जाएगा।

(iv) चुनाव के 6 महीने के भीतर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम और 2 साल के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम;

(v) निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) और पंचायतों के पदाधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, प्रशिक्षकों / मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर के समूह में प्रशिक्षण;

(vi) उभरती जरूरतों और सीखने पर विचार करते हुए प्रशिक्षण के भौतिक / आभासी / ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड;

(vii) एसडीजी के साथ संरेखित ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी हेतु सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, नीति आयोग के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ सहयोग;

(viii) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करना, मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन;

(ix) प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लक्षित समूहों के लिए ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल जैसे एनीमेशन वीडियो, ऑडियो, ई-पोस्टर आदि को तैयार करना।

(x) इंटरैक्टिव सीबी एंड टी सुनिश्चित करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), मेटावर्स आदि जैसी नई, उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

(xi) वर्चुअल प्लेटफॉर्म किसी भी समय अधिक से अधिक आउटरीच के लिए स्व-शिक्षण और स्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए

(xii) जमीनी स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एसडीजी के साथ संरेखित 9 विषयगत क्षेत्रों (एलएसडीजी पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए) में प्रशिक्षण

(xiii) सभी स्तरों पर चिन्हित विषयगत क्षेत्रों में केंद्रित सीबी एंड टी के लिए मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों का पूल बनाने का प्रावधान

(xiv) नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए ईआर की शासन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों की सीबी एंड टी पहल (प्रशिक्षण सामग्री, बुनियादी ढांचे/संस्थान, आईईसी सामग्री आदि) का अभिसरण;

(xv) ईआर, सभी स्तर (जिला / ब्लॉक / जीपी) के पदाधिकारियों जैसे पंचायत सचिव, वीडीओ / बीडीओ आदि को कम से कम 1/2 दिन के फील्ड विजिट के साथ सक्षम बनाना

(xvi) एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए ग्राम/ब्लॉक/जिला पंचायत विकास योजनाओं की समग्र, समावेशी और अभिसरण तैयारी के लिए लाइन विभागों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों को सक्षम बनाना

(xvii) राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के लिए एक्सपोजर विजिट।

(xviii) आदर्श पंचायतों को पीएलसी/विसर्जन स्थलों के रूप में विकसित करने में सहायता दी जाएगी ताकि वे नियमित रूप से एक्सपोजर दौरों की मेजबानी कर सकें।

(xix) एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में प्रशिक्षकों/मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण;

(xx) सीबीसी के परामर्श से उत्कृष्टता संस्थानों/प्रतिष्ठित संस्थानों को पंचायतों के सभी स्तरों और ऐसी अन्य गतिविधियों में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए ईआर को सक्षम करने के लिए लगाया जाएगा।

8.10 एक्सपोजर विज़िट:

8.10.1 एक्सपोजर दौरों को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीखने के सबसे प्रभावी और प्रेरक तरीकों में से एक माना जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्हें स्वयं अन्य पंचायतों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, इस प्रक्रिया में उन पंचायतों के सामने आने वाली चुनौतियों और उन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया, इसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सीखने की यह प्रक्रिया मेजबान और आने वाले प्रतिभागियों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट व्यावहारिक सहकर्मी सीखने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार, राज्य के भीतर और बाहर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के साथ पंचायतों का दौरा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है और दृष्टि ही 'विश्वास है' मोड में अनुभवात्मक सीख को बढ़ावा देता है।

8.10.2 एक्सपोजर विज़िट्स संसाधन परिपूर्ण हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्सपोजर यात्राओं की उचित योजना बनाई और निष्पादित की गई है। फलस्वरूप यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुवर्ती तंत्र महत्वपूर्ण है कि यात्रा के दौरान सीखों को आत्मसात किया जाए, और प्रतिभागियों द्वारा उनके लौटने पर स्थानीय समस्याओं को एक अभिनव तरीके से संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाए।

8.10.3 एक्सपोजर दौरों से लाभ को अधिकतम करने के लिए, विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर अच्छी प्रथाओं के साथ अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली पंचायतों या पंचायतों की सूची को पहचानना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है जहां दौरे आयोजित किए जाएंगे। राज्यों के भीतर और बाहर पंचायतों की पहचान की जा सकती है। निम्न कार्य-क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं:

**(i)** कोर संस्थागत कामकाज जैसे नियमित पंचायत बैठकें, स्थायी समितियों का कामकाज, सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना, प्रभावी ग्राम सभा बैठकें, राजस्व संग्रह का उच्च प्रतिशत, अद्यतन लेखा और अभिलेखों का रखरखाव, बुनियादी नागरिक सेवाओं का प्रावधान और रखरखाव आदि।

**(ii)** सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी), पंचायत-स्व-सहायता समूह (एसजीएच) अभिसरण इत्यादि के स्थानीयकरण पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए 9 विषयों में राज्य/पंचायतों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों/कार्यक्रमों में विषयगत उत्कृष्टता ।

**(iii)** सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों वाली पंचायतों की पहचान करते समय, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जा सकता है:

क) पंचायत को पहल को लागू करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए।

ख) प्रभावी कामकाज या सेवाओं के वितरण में सकारात्मक प्रभाव (प्रणाली, पहुंच, गुणवत्ता, सामर्थ्य आदि)

ग) सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों/नवाचारों को वित्तपोषित करने के लिए पंचायत ने कैसे संसाधन जुटाए/प्रबंधित किए।

घ) स्थिरता/ निरंतरता के पहलू।

8.11 पंचायत अध्ययन केंद्र (पीएलसी):

8.11.1 राज्य भर में फैली सफलता की कहानियों/ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के साथ ऐसी पंचायतों की सूची बनाई जा सकती है। इन पंचायतों को जिला/ब्लॉक में सीखने के लिए पीएलसी या विसर्जन स्थलों के रूप में कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करना और विकसित किया जा सकता है। उन पंचायतों का चयन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिन्होंने पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण, आर्थिक विकास के तहत नवीन परियोजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने और आरजीएसए के तहत आय वृद्धि आदि के लिए 9 चिन्हित विषयों में अनुकरणीय कार्य दिखाया है।

8.11.2 इन पीएलसी द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत दस्तावेज (प्रोफाइल, रिपोर्ट, लघु फिल्म आदि) ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और आने वाली पंचायतों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इन सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर लघु फिल्में भी तैयार की जानी चाहिए और व्यापक प्रसार और पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

8.11.3 इन कार्यों से देश भर में आदर्श पंचायतों का भौगोलिक और विषयवार विकास सुनिश्चित होगा। आदर्श पंचायतों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विकसित/ गठित किया जाना चाहिए:

(i) पंचायतों के कामकाज से संबंधित क्षेत्र (सुशासन और समग्र दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और भागीदारी)

(ii) क्षेत्र विशिष्ट (एलएसडीजी पर विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए 9 विषयगत क्षेत्र) और 11वीं अनुसूची से संबंधित, जहां संबंधित विभाग भी शामिल हो सकते हैं।

8.11.4 आदर्श पंचायतों को भी स्वयं के संसाधन जुटाने की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है:

(i) पहले से मौजूद अच्छे उदाहरणों/ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के मानचित्रण के माध्यम से और जहां आवश्यक हो वहां उन्नयन

(ii) आदर्श पंचायतों के रूप में नई पंचायतों का विकास/ गठन। ऐसी पंचायतों को केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जहां आस-पास कोई अच्छा उदाहरण नहीं है या जहां उस विषयगत क्षेत्र में कोई अनुकरणीय अच्छे उदाहरण नहीं हैं।

8.11.5 इस घटक के तहत, अपनी पहल, डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण/स्थापना आदि को प्रदर्शित करने के लिए एक्सपोजर यात्राओं की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

8.12 प्रशिक्षण के लिए संस्थागत संरचना ( संस्थागत आधारभूत संरचना और मानव संसाधन)

8.12.1 पीआरआई प्रशिक्षणों की जटिलता और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण उपकरण और उपकरणों के साथ-साथ संकाय, संसाधन पूल, और व्यापक प्रशिक्षणों और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रशिक्षणों के समन्वय के मामले में मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है, जिन्हें मात्रा में लेन-देन किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले सीबी एंड टी और विस्तारित आउटरीच को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संसाधन संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ सहयोग करते हुए राज्यों से सीबी एंड टी के लिए अपने स्वयं के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद की जाएगी । राज्य के ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)/पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरटीआई) और राज्य संस्थानों में अन्य विभागों के अन्य उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का भी पीआरआई के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

8.12.2 जिन राज्यों में राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) काम नहीं कर रहे हैं, वे अधिमानतः राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडी और पीआर) या किसी अन्य राज्य स्तरीय संस्थान में स्थापित कर सकते हैं। जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) भी अधिमानतः मौजूदा सरकारी संस्थानों/जिला और ब्लॉक स्तर पर किराये के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं में स्थापित किए जाने हैं, जहां डीपीआरसी/बीपीआरसी भवन उपलब्ध नहीं हैं। नए डीपीआरसी भवन केवल पूर्वोत्तर राज्यों में आरजीएसए निधियों का उपयोग करके निर्माण किया जा सकता है। ये केंद्र निर्धारित मानकों के अनुसार सीबी एंड टी गतिविधियों, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रलेखन और संचार के संचालन और समन्वय के लिए केंद्र बिंदु होने की उम्मीद है। ये केंद्र शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ राज्य प्रशिक्षण नेटवर्क तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

8.12.3 राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्रों को समर्थन देकर प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में अध्याय-9 में उल्लिखित लागत मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं :

(i) किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना का प्रावधान।

(ii) एसपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और ओ एंड एम पर आवर्ती लागत : लागत का 10% तक ओ एंड एम के लिए उपयोग किया जा सकता है और शेष निधि का उपयोग एलएसडीजी पर 9 विषयगत विशेषज्ञों सहित पर्याप्त संकायों की नियुक्ति के लिए किया जाना है।

(iii) केवल पूर्वोत्तर राज्यों में नए डीपीआरसी भवन निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान।

(iv) किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान।

(v) डीपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और ओ एंड एम पर आवर्ती लागत : लागत के 10% तक

ओ एंड एम का उपयोग किया जा सकता है और शेष निधि का उपयोग एलएसडीजी के कम से कम 2-3 विषयों के डोमेन का ज्ञान रखने वाले न्यूनतम चार संकायों की नियुक्ति के लिए किया जाना है।

(vi) किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान।

(vii) बीपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और ओ एंड एम पर आवर्ती लागत।

(viii) जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराए पर लेना।

8.12 .4 एसपीआरसी, डीपीआरसी और बीपीआरसी के मौजूदा संकायों को छह महीने के भीतर एनआईआरडी एंड पीआर या समकक्ष संस्थानों के स्व-शिक्षण प्रमाणन पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नए संकायों की नियुक्ति के लिए, एनआईआरडी और पीआर या समकक्ष संस्थानों के स्व-शिक्षण प्रमाणन पाठ्यक्रमों को चाहिए कि वे आवश्यक योग्यताओं में से एक हो।

8.12.5 **एसपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां**: मोटे तौर पर एसपीआरसी राज्य में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेंगे, अनुसंधान करेंगे और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। एसपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

(i) पंचायती राज संस्थाओं के सीबी एंड टी पर एक रोडमैप विकसित करना और ईआर और पदाधिकारियों और पीआरआई के अन्य हितधारकों के सीबी एंड टी की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करना।

(ii) सीबी एंड टी के अनुमोदित एएपी के आधार पर वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करें।

(iii) एनसीबीएफ के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पीआरआई के ईआर और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन । सीबीसी के परामर्श से पीआरआई के ईआर और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) डिजाइन करें।

(iv) मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के विकास प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम का आयोजन

(v) विभिन्न डोमेन पर राज्य स्तर पर पैनल मास्टर ट्रेनर

(vi) विभिन्न विषयगत शिक्षण क्षेत्रों पर शिक्षण मॉड्यूल (हैंडबुक / पीपीटी / लघु फिल्म / वीडियो क्लिप) विकसित करना।

(vii) पंचायतों की संस्थागत क्षमता पर आईईसी सामग्री का डिजाइन लेआउट और अवधारणा।

(viii) पीआरआई के प्रशिक्षण और मानव संसाधन की भागीदारी के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करें और डीपीआरसी और बीपीआरसी का समर्थन करें।

सशक्त पंचायत सतत विकास

(ix) एसपीआरसी के लिए बजट परिव्यय तैयार करना डीपीआरसी/बीपीआरसी के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण और उनके संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सभी डीपीआरसी द्वारा प्रशिक्षण के आवश्यक मानक प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करने में भूमिका निभाएगा।

(x) ग्रामीण स्थानीय शासन, ग्राम पंचायतों के लोकतांत्रिक कामकाज, भागीदारीपूर्ण योजना, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान/कार्य अनुसंधान करने के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना और विभिन्न नीतियों और प्रणालीगत परिवर्तनों को अपनाने के माध्यम से उनके कामकाज में सुधार के लिए नीतिगत सुधारों और अन्य तरीकों का सुझाव देना। / आरडी एंड पी विभाग को प्रक्रियाओं की पुनर्रचना;

(xi) पंचायतों और ग्रामीण विकास पर राज्य संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना और ग्रामीण स्थानीय सरकार के कामकाज पर राज्य के भीतर और बाहर पुस्तकों / पत्रिकाओं / शोध पत्रों आदि के माध्यम से उपलब्ध सभी अर्जित ज्ञान/ सूचना का भंडार।

(xii) विभिन्न सहमत मापदंडों पर पंचायतों के कामकाज का आकलन करना और उनके कामकाज में कमजोरियों के क्षेत्रों का पता लगाना और आवश्यक क्षमता निर्माण के तरीकों पर काम करना;

(xiii) ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता का विकास करना और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करना; शासन में सुधार; शासन में आईसीटी का अनुप्रयोग; जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी।

(xiv) डीपीआरसी और बीपीआरसी द्वारा पंचायतों और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी करना।

(xv) ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) जो ग्राम पंचायतों के साथ तालमेल में जमीनी स्तर पर काम करते हैं, के क्षमता अंतराल की पहचान करना और प्रशिक्षण का आयोजन करना

(xvi) पंचायती राज संस्थाओं के ईआर और पदाधिकारियों के एक्सपोजर विजिट की योजना।

(xvii) शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला और बच्चे, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना।

(xviii) अनुभव साझा करने, आपसी सीखने और प्रशिक्षण सामग्री को साझा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य संसाधन संस्थानों के साथ नेटवर्किंग।

(xix) पंचायती राज के व्यापक क्षेत्र में प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन, विकेंद्रीकृत योजना, विकेन्द्रीकृत विकास और सामयिक प्रासंगिकता की अन्य उभरती जरूरतें।

(xx) पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत विकास और अन्य संबंधित समसामयिक मुद्दों पर अपने दम पर और विश्वविद्यालयों, विशेष अनुसंधान संस्थानों आदि के सहयोग से अनुसंधान कार्य का प्रचार और समन्वय।

(xxi) राज्य में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन या संचालन का प्रावधान।

8.12.6 उचित कामकाज के लिए एसपीआरसी के पास व्यापक रूप से निम्नलिखित ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए। अनुपलब्धता के मामले में, इन सुविधाओं को आवश्यकता आधारित आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है।

(i) सम्मेलन कक्ष।
(ii) सभागार।
(iii) अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय-सह-अध्ययन कक्ष।
(iv) पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए ट्विन शेयरिंग रूम के साथ अलग छात्रावास की सुविधा।
(v) बैठने की पर्याप्त क्षमता वाला भोजनालय कक्ष
(vi) संकाय, शैक्षणिक और कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय आवास।
(vii) कैंपस हाउसिंग के लिए स्टाफ क्वार्टर।
(viii) स्टेट सैटेलाइट हब के लिए भौतिक आधारभूत संरचना, दोतरफा ऑडियो-वीडियो कनेक्टिविटी के साथ-साथ ब्लॉक संसाधन केंद्रों में स्थापित किए जाने वाले सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनलों के साथ लिंकेज की सुविधा के साथ उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रणाली के लिए।
(ix) प्रशिक्षुओं को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के लिए परिवहन सुविधा
(x) कंप्यूटर एप्लीकेशन, टूल्स और सॉफ्टवेयर के उपयोग और अन्य आईसीटी से संबंधित मामलों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए सभी सुविधाओं से लैस सूचना प्रौद्योगिकी सेल

**8.12.7 एसपीआरसी में विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिमानतः संकाय होने का अनुमान है:**

(i) पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना, सूक्ष्म नियोजन आदि।
(ii) ई-गवर्नेंस, ओन सोर्स रेवेन्यू, अकाउंटेंसी और बजटिंग आदि।
(iii) मोटे तौर पर सभी एसडीजी को कवर करने वाले 9 विषयों की पहचान की गई।

**8.12.8 डीपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां:** जिला स्तर पर डीपीआरसी पीआरआई के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे और मौजूदा सरकारी और गैर-सरकारी संसाधन संस्थानों के सहयोग से ईआर और पदाधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे। डीपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

(i) जीपी स्तर के पदाधिकारियों के सभी नियमित प्रशिक्षण डीपीआरसी में अनुमोदित आप के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का संस्थागत प्रबंधन।

(iii) एनसीबीएफ की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के ईआर और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन सीबीसी द्वारा सुझाए गए मानकीकृत प्रारूप के आधार पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत में प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन करें।

(iv) पीआरआई के प्रशिक्षण और मानव संसाधन की भागीदारी के संचालन के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करें और बीपीआरसी का समर्थन करें।

(v) डीपीआरसी के लिए बजट परिव्यय तैयार करना बीपीआरसी के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ-साथ सभी बीपीआरसी द्वारा प्रशिक्षण के आवश्यक मानक प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करने में भूमिका निभाएगा।

(vi) पंचायती राज और ग्रामीण विकास के ईआर, पदाधिकारियों और अधिकारियों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण का आयोजन करें।

(vii) ग्राम पंचायतों के कामकाज और उनकी क्षमताओं के निर्माण पर बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए जीपी पदाधिकारियों और ईआर के प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(viii) संबंधित विभागों/गैर सरकारी संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना।

(ix) आईईसी उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से जीपीडीपी के लिए पर्यावरण निर्माण के लिए रणनीतिक अभियान लागू करें।

(x) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं के ईआर और पदाधिकारियों के एक्सपोजर विजिट का आयोजन।

(xi) विभिन्न विषयों पर ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत को सैटकॉम/हाइब्रिड प्रशिक्षण का आयोजन।

(xii) टीएमपी में वास्तविक समय पर प्रशिक्षण डेटा कैप्चर करें।

(xiii) ग्रामीण विकास पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करना।

(xiv) पीआरआई के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को मजबूत करने में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न लाइन विभागों / संगठनों / संस्थानों / सीबीओ के साथ संपर्क और नेटवर्किंग।

(xv) जिला नियंत्रण इकाई के माध्यम से पंचायत विकास योजना के निर्माण में सहयोग प्रदान करना।

8.12.9 **बीपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां**: ब्लॉक स्तर पर बीपीआरसी पीआरआई के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे और मौजूदा सरकारी और गैर-सरकारी संसाधन संस्थानों के सहयोग से ईआर और पदाधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे। बीपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

(i) स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को ग्राम पंचायत के क्लस्टर मोड में लागू करें

(ii) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नियोजित प्रदर्शन दौरे को क्रियान्वित करना।

(iii) वार्ड सदस्यों के बीच सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विषयगत प्रशिक्षण का आयोजन

(iv) ग्राम पंचायत के क्लस्टर के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के दूरस्थ मोड प्रशिक्षण का आयोजन

(v) ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के निर्माण में सहायता प्रदान करना

(vi) सहायता के माध्यम से ग्राम पंचायत के संस्थागत सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करना

(vii) ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न बैठकें/कार्यशाला आयोजित करना

## 8.13 सैटकॉम/आईपी आधारित वर्चुअल क्लास रूम/इसी तरह की तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा :

8.13.1 राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संशोधित आरजीएसए योजना में स्पष्ट रूप से इंगित करें कि वे पीआरआई के क्षमता निर्माण के लिए मौजूदा दूरस्थ शिक्षा सुविधा (सैटकॉम नेटवर्क, आईपी आधारित आदि) को कैसे विकसित/उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। योजना की योग्यता के आधार पर, संशोधित आरजीएसए एक विशिष्ट अवधि के लिए पूंजीगत व्यय और रखरखाव लागत का समर्थन करेगा। तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी को देखते हुए, दूरस्थ शिक्षा के लिए नई और उभरती टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

8.13.2 राज्य सरकार को राज्य-विशिष्ट सामग्री विकसित करने और प्रमुख हितधारकों की क्षमता निर्माण और जागरूकता निर्माण के लिए सुविधा का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। एसपीआरसी, डीपीआरसी, बीपीआरसी और पीआरआई के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए।

## 8.14 *पंचायतों का ई-सक्षमीकरण:*

8.14.1 इंटरनेट और क्लाउड से मोबाइल एप्लिकेशन और उपग्रह संचार में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के ई-सक्षमता से पंचायतों में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण और शासन को आधुनिक बनाने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। ई-पंचायत एमएमपी के तहत एमओपीआर द्वारा तैयार ई-एप्लिकेशन पंचायतों के शासन और सेवा वितरण के लिए उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ई-सक्षमता का आधार बनेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पंचायतों को ई-सक्षम करने के लिए उपयुक्त सीबी एंड टी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपेक्षा की जाएगी।

8.14.2 जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर के साथ प्रगति की है और अपने सॉफ़्टवेयर को संदर्भ विशिष्टता के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक मानते हैं, उन्हें PES/eGramSwaraj अनुप्रयोगों के माध्यम से केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए इंटरफ़ेस सॉफ़्टवेयर विकसित करने के लिए समर्थन दिया जाएगा।

8.14.3 ग्राम पंचायतों के नागरिक केंद्रित सेवा वितरण और ई-सक्षमता को बढ़ाने के लिए, ग्राम

पंचायतों में कंप्यूटर की उपलब्धता पूर्व-आवश्यकता है, जिसे केंद्र/राज्य योजनाओं, केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग अनुदान, ओएसआर आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक संभव हो। हालांकि, सीमित पैमाने तक गैप फिलिंग एप्रोच के साथ कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर को संशोधित आरजीएसए के तहत समर्थित किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अध्याय-9 में उल्लिखित लागत मानदंडों के अनुसार आरजीएसए की पिछली योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियां शामिल हैं।

## 8.15 पंचायत अवसंरचना के लिए सहायता:

### 8.15.1 ग्राम पंचायत भवन:

ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायतों के कार्यालय के रूप में प्रमाण पत्र, परमिट, लाइसेंस आदि जारी करने जैसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए कार्य करता है। इसे ग्राम सभाओं के आयोजन, सूचना प्रदान करने के स्थान इत्यादि जैसे सभी कार्यों के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कई ग्राम पंचायतों के अपने कार्यालय भवन नहीं हैं।

ग्राम पंचायत भवन सहित पंचायत अवसंरचना प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्यों के पास है और यह उम्मीद की जाएगी कि विभिन्न स्रोतों से / और सामुदायिक हॉल के साथ ग्राम पंचायत भवनों के लिए धन प्राप्त किया जाएगा। हालांकि, जहां अन्य योजनाओं से धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए सीमित आधार पर वित्तीय सहायता आरजीएसए की पिछली योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों सहित पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के साथ संशोधित आरजीएसए के तहत राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाएगी। चूंकि इस शीर्ष के तहत प्रावधान अपर्याप्त है, राज्यों को सलाह दी जाती है कि जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा आदि और ओएसआर पर निधियों का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करें। उन पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी जो प्रभावी और जीवंत कार्यप्रणाली का प्रदर्शन कर सकें। जनता के बैठने की व्यवस्था, ग्राम सभाओं की बैठकें, "सूचना दीवार" बहुक्रियाशील कमरे, छाया के लिए पेड़ आदि के प्रावधान के साथ एक कार्यात्मक भवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन के साथ-साथ खुले क्षेत्र भी हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यों को करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर, नए ग्राम पंचायत भवनों / और ग्राम पंचायतों में सामुदायिक हॉल के निम्नलिखित सिविल कार्यों को वित्त पोषित किया जाएगा:

- कॉमन सर्विस सेंटर के लिए पंचायत भवन में अतिरिक्त कमरा।
- मौजूदा भवनों में महिलाओं के लिए अलग शौचालयों के साथ शौचालयों का निर्माण।
- बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुलभ करना

***राज्यों से ऐसी इमारतों के लिए पर्यावरण के अनुकूल डिजाइनों का पालन करने और आपदा न्यूनीकरण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाएगी। लागत अनुमान के लिए राज्य या केंद्र सरकार के लागत मानदंड (जो भी कम हो) का उपयोग किया जाना चाहिए। जीपी भवन के लिए भूमि की लागत को संशोधित आरजीएसए से वित्त पोषित नहीं किया जाएगा ।***

### 8.15.2 जीपी भवन में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का सह-स्थापन:

सीएससी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (एनईजीपी) के तहत एक अनुमोदित परियोजना है। सीएससी का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। राज्य और पंचायत नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकल बिंदु वितरण को बढ़ावा देने के लिए जीपी कार्यालयों में सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत सीएससी या समान केंद्रों के सह-स्थापन का पता लगा सकते हैं।

सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या इसी तरह के केंद्र जीपी कार्यालय भवनों में सह-स्थित हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन के लिए प्रभावी संस्थानों के रूप में माना जाता है और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेहतर ढंग से संरेखित किया जाता है।

राज्यों को विभिन्न स्रोतों से सीएससी के सह-स्थापन के लिए जीपी भवन में सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए धन प्राप्त करने की उम्मीद की जाएगी। हालांकि, जहां अन्य योजनाओं से धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, सीएससी के सह-स्थापन के लिए जीपी भवन में निर्माण सामुदायिक हॉल के लिए सीमित आधार पर वित्तीय सहायता, पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के साथ संशोधित आरजीएसए के तहत राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाएगी, जिसमें आरजीएसए की पिछली योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल है।

## 8.16 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता

सशक्त पंचायत सतत विकास

8.16.1 पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक परंपराओं में समृद्ध हैं। हालांकि, इन क्षेत्रों में निरक्षरता, गरीबी और कुपोषण से उभरने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के वितरण में सुधार की आवश्यकता है। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, (पेसा) 1996 में आदिवासियों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन की विशेष शक्तियों के साथ सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों में विकास होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। पेसा का क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब ग्राम सभाएं अपनी भूमिका को समझें और निभाएं।

8.16.2 ग्राम सभा स्तर पर स्थानीय नियोजन और कार्यान्वयन के लिए पेसा के लिए क्षमता विकास को संशोधित आरजीएसए के तहत समर्थन दिया जाएगा । पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभाओं और पीआरआई को मजबूत करने के लिए, अध्याय 9 में उल्लिखित लागत मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को वित्त पोषित किया जाएगा:

(i) पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक का मानदेय

(ii) पेसा जिले में एक पेसा समन्वयक का मानदेय

(iii) पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय

(iv) 1 ग्राम सभा मोबिलाइजर/पेसा जीपी . का मानदेय

(v) 5 पेसा ग्राम पंचायतों के समूह के लिए ग्राम सभा अभिविन्यास

### *8.17 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)*

8.17.1 पंचायतों को संविधान और विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उन्हें कई केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों में जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। हालाँकि, पंचायतों के लिए उपलब्ध मानव संसाधन राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। ***पीआरआई से संबंधित सूचना और प्रामाणिक डेटा की अनुपलब्धता को अक्सर नीति विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की खराब क्षमता से स्थिति और भी जटिल हो गई है।***

*8.17.2 इसलिए राज्य पंचायती राज विभागों की वर्तमान ताकत और क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे राज्य में पंचायतों के विकास के लिए लगातार बढ़ते एवं सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकें और संशोधित आरजीएसए को लागू कर सकें। पंचायती राज विभागों का समर्थन करने के लिए,* प्रभावी वास्तविक समय डेटा प्रबंधन, ई-सक्षमता, अभिसरण को सुव्यवस्थित करने, बेहतर निगरानी के साथ-साथ *संशोधित आरजीएसए की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए* राज्य,

सशक्त पंचायत सतत विकास

जिला और ब्लॉक स्तर पर एक संरचित और एकीकृत पीएमयू स्थापित किया जाएगा और पंचायतों की योजना बनाने और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण आदि में सहयोग करेगा।

8.17.3 XV वित्त आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक घटकों के तहत उपलब्ध संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी (संयुक्त) अनुदान और ग्रामीण विकास के लिए अन्य योजनाओं की प्रशासनिक लागत का भी PRI के विभिन्न स्तरों पर PMU को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा जारी एक परामर्शिका को संदर्भित किया जा सकता है, जो **अनुबंध-V और VI में है**।

*8.17.4 स्थानीय शासन, क्षमता निर्माण, पंचायती राज, सामाजिक विकास, आईईसी, निगरानी और मूल्यांकन, डेटा हैंडलिंग, प्रबंधन और विश्लेषण, एसडीजी, हैंडलिंग डैशबोर्ड और एमआईएस, स्थानीय योजना आदि में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को लगाया जा सकता है। . पूर्णकालिक सलाहकारों के साथ-साथ कम समय के सलाहकारों को समय-समय पर काम पर रखा जा सकता है या एसईसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के लिए पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।* ***पीएमयू के तहत उपर्युक्त कर्मियों की व्यापक जिम्मेदारियां अनुबंध-VII में हैं।*** राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पीएमयू *की सांकेतिक संरचना इस प्रकार है:*

| **एसपीएमयू की संरचना** | **संख्या** |
|---|---|
| राज्य कार्यक्रम प्रबंधक | 1 |
| राज्य समन्वयक (ई-गवर्नेंस) | 1 |
| राज्य समन्वयक (एम एंड ई) / वित्तीय सलाहकार | 1 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर/एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक | 1 |
| **कुल** | **4** |
| **संरचना डीपीएमयू** | |
| जिला कार्यक्रम प्रबंधक | 1 |
| जिला समन्वयक (ई-गवर्नेंस) / (एम एंड ई) | 1 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर/एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक | 1 |
| **कुल** | **3** |

| संरचना बीपीएमयू | |
|---|---|
| ब्लॉक समन्वयक | 1 |
| खाता और प्रशासनिक सहायक / डाटा एंट्री ऑपरेटर / एमआईएस विशेषज्ञ / डाटा इंजीनियर / विश्लेषक | 1 |
| **कुल** | **2** |

*8.*17.5 ***राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पीएमयू में विभिन्न पदों का*** नामकरण सांकेतिक है, जो विभिन्न राज्यों में आरजीएसए की पिछली योजना में बनाई गई उनकी मौजूदा संविदात्मक जनशक्ति स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## *8 .18 नवाचारों के लिए समर्थन:*

8.18.1 संशोधित आरजीएसए पंचायतों के माध्यम से सुशासन और परिणाम आधारित कार्यक्रम वितरण के मॉडल विकसित करने और विकसित करने के लिए नवाचारों के लिए सहायता प्रदान करेगा। इस शीर्ष के तहत किसी भी प्रस्ताव में नवोन्मेषी विशेषता स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए और यह कैसे नया और अलग है और इसका पंचायतों के कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

8.18.2 परियोजना प्रस्ताव में नवोन्मेषी गतिविधियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। सरकारी और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, संसाधन संस्थानों द्वारा ऐसी परियोजनाओं को राज्य योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित विचारोत्तेजक मुद्दों के अनुरूप पंचायत स्तर पर नवीन गतिविधियों के प्रस्ताव प्रस्तावित किए जा सकते हैं:

(i) जीपी शासन और सेवा वितरण को मजबूत करने में नवाचार
(ii) स्थानीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में नवाचार
(iii) क्षमता निर्माण के नवीन तरीके
(iv) पंचायतों के अपने स्रोत राजस्व में वृद्धि
(v) पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना
(vi) एसडीजी आदि के संबंध में पंचायत के नेतृत्व वाले शासन के प्रभाव को बढ़ाना।
(vii) स्मार्ट जीपी / गांव

8.18.3 इन अभिनव परियोजनाओं को सरकार, अन्य तकनीकी संस्थानों, प्रतिष्ठित एजेंसियों/एनजीओ आदि के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। नवाचारों के लिए समर्थन का विवरण राज्य योजना में शामिल होना चाहिए, और प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर समर्थित किया जाएगा। नवाचारों को समर्थन देने का निर्णय आरजीएसए के सीईसी द्वारा लिया जाएगा।

## **8.19 आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन/ सहायता:**

8.19.1 पंचायतों के आर्थिक विकास गतिविधियों के लिए योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में लगे रहने की उम्मीद है। संविधान के अनुच्छेद 243-जी ने राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार दिया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और अन्य विषय क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए।

(i) इस घटक के तहत, ग्राम पंचायतों के समूह / ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और आय वृद्धि पर सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। पंचायतों को हस्तांतरण के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय क्षेत्रों को पूरा करने वाली सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रस्ताव की योग्यता और इसकी व्यवहार्यता और स्थिरता के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

(ii) इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा पंचायत के संबंधित स्तर (ग्राम पंचायत स्तर की परियोजना के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर की परियोजना के लिए ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर की परियोजना के लिए जिला पंचायत) के अनुमोदन के बाद अग्रेषित किया जाएगा। एमओपीआर से मिलने वाली फंडिंग महत्वपूर्ण संसाधन अंतराल तक सीमित होगी, जो किसी अन्य योजना के तहत उपलब्ध नहीं हैं या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

### *8.20 सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी)*

**8.20.1 राज्यों से वर्ष की शुरुआत में अभियान मोड में आईईसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक व्यापक विकास संचार रणनीति तैयार करने की उम्मीद की जाएगी। इसमें मासिक मुद्दे और संसाधन सामग्री शामिल हो सकती है जिसे पंचायतों को उपलब्ध कराया जा सकता है। आईईसी के लिए 2% तक फंड का उपयोग किया जा सकता है। संचार रणनीति में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:**

(i) **संविधान और विभिन्न राज्य और केंद्रीय अधिनियमों के तहत पंचायतों की जिम्मेदारी और शक्तियां।**

(ii) **मतदान और ग्राम सभाओं की बैठकों में सामुदायिक भागीदारी का महत्व।**

(iii) **नागरिक केंद्रित शासन क्या है और इसे कैसे संस्थागत बनाया जाए।**

(iv) **सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना - इसे विशेष रूप से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें स्थानीय स्तर पर उठाया जा सकता है।**

(v) **संशोधित आरजीएसए सहित सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और उन्हें कैसे एक्सेस किया जाए। ऐसे मामलों में उन लोगों के बारे में भी जानकारी का प्रसार करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए जिन्होंने योजनाओं तक पहुंच प्राप्त की है और जहां योजना तक पहुंचने में समस्याएं हैं।**

(vi) **विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी। और ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी के तहत की गई गतिविधियों और उस पर किए गए व्यय के संबंध में स्वैच्छिक प्रकटीकरण।**

(vii) **विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण।**

**8.20.2 इस तरह के जागरूकता अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए-संचार सामग्री को मैनुअल, फ्लिप बुक, पोस्टर, रोल प्ले, कठपुतली शो, ऑडियो सामग्री, लघु फिल्म आदि के रूप में विकसित/ तैयार किया जा सकता है। स्थायी प्रदर्शन जैसे सूचना दीवार, गांव मॉडल और नागरिक जानकारी निश्चित दिनों पर काउंटरों पर विचार किया जा सकता है। अन्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:**

(i) आईईसी-बीसीसी पूरे राज्य में पंचायत सप्ताह/ पखवाड़ा उत्सव/ अन्य अभियान के अनुरूप अभियान मोड में अभियान चलाती है।

(ii) पंचायतों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों का प्रदर्शन

(iii) सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ऑडियो विजुअल मीडिया, कम्युनिटी रेडियो का उपयोग

(iv) टेलीविजन चैनलों में विशेष कार्यक्रम/विशेषताएं

(v) पंचायतों और संबंधित सरकारी योजनाओं या मुद्दों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रदर्शनियां, मोबाइल वैन

**(vi)** आईईसी के लिए नवीन/उभरती/नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग

**(vii)** पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना

8.20.3 अभियान बड़े पैमाने पर पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर किए जाने चाहिए। अभियान राज्य स्तर पर चलाए जा सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के अभियान सीधे पंचायती राज संस्थाओं के काम से संबंधित हैं, खासकर सतत विकास लक्ष्यों और पंचायतों द्वारा सुशासन और सेवा वितरण के संदर्भ में। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय मुद्दों पर आधारित अभियान चलाने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिया जाए।

8.20.4 गरीब परिवारों, पीआरआई प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, राय निर्धारकों और सरकारी पदाधिकारियों और ग्राम सभा सदस्यों जैसे कई लक्षित समूहों तक पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

**8.21 कार्यक्रम प्रबंधन :**

संशोधित आरजीएसए के तहत विभिन्न स्तरों पर एक एकीकृत और संरचित पीएमयू स्थापित किया जाएगा और पीएमयू के कामकाज के लिए दिन-प्रतिदिन की लागत और आवश्यकता के अनुसार अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन के तहत 1.5% फंड का उपयोग किया जा सकता है।

**8.22 राज्य स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र**

आरजीएसए को नियमित विभागीय तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर निम्नलिखित संस्थागत तंत्रों की परिकल्पना की गई है।

(i) राज्य सलाहकार समिति
(ii) राज्य संचालन समिति
(iii) राज्य कार्यकारी समिति
(iv) कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

**8.22.1 राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) :**

संशोधित आरजीएसए की योजना के कार्यान्वयन में प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त रूप से सलाह देने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एक सलाहकार समिति की स्थापना की जा सकती है। . इस समिति की सुझाई गई संरचना इस प्रकार हो सकती है:

| **पंचायती राज मंत्री** | **अध्यक्ष** |
|---|---|
| पंचायती राज राज्य मंत्री | सदस्य |
| ग्रामीण विकास मंत्री | सदस्य |
| पेयजल मंत्री | सदस्य |

| | |
|---|---|
| पंचायती राज के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात 2 व्यक्ति (अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत) | सदस्य |
| सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे | सदस्य |
| अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से पंचायतों की 2 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि | सदस्य |
| 2 जिला परिषद अध्यक्ष बारी-बारी से | सदस्य |
| 2 प्रखंड पंचायत अध्यक्ष बारी-बारी से | सदस्य |
| सचिव पंचायती राज | सदस्य |
| सचिव सामाजिक न्याय | सदस्य |
| सचिव जनजातीय मामले | सदस्य |
| सचिव वित्त | सदस्य |
| आयुक्त पंचायती राज | सदस्य सचिव |
| आयुक्त आरडी | सदस्य |
| सचिव महिला एवं बाल विकास | सदस्य |

**8.22.2 राज्य संचालन समिति (एसएससी) :**

आरजीएसए के अधिदेश की प्रभावी सराहना के लिए, संशोधित आरजीएसए के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रणनीति और नीति तैयार करना, योजना की निगरानी और सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारें एक एसएससी स्थापित कर सकती हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में योजना की निगरानी एवं समीक्षा हेतु। इस समिति की सुझाई गई संरचना इस प्रकार है :

| **मुख्य सचिव** | **अध्यक्ष** |
|---|---|
| प्रमुख सचिव, पंचायती राज | सदस्य सचिव |
| कृषि उत्पादन आयुक्त | सदस्य |

| | |
|---|---|
| प्रमुख सचिव, योजना विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग | सदस्य |
| महानिदेशक / निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) | सदस्य |
| प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग | सदस्य |
| प्रमुख सचिव, युवा कल्याण विभाग | सदस्य |
| प्रधान सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| निदेशक, पंचायती राज | सदस्य |
| अपर/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से दो से अधिक विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को भी नामित नहीं किया जा सकता है | |

### 8.22.3 **राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) :**

साथ ही, राज्य में पंचायतों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरजीएसए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के लिए सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राज्य में एक एसईसी की स्थापना की जा सकती है। उनके जीपीडीपी के आधार पर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 मदों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने पर जोर देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषयगत दृष्टिकोण को अपनाने वाले एसडीजी को प्राप्त करने के लिए। इस समिति की सुझाई गई संरचना इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| सचिव, पंचायती राज विभाग | **अध्यक्ष** |
| सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |

| | |
|---|---|
| संयुक्त सचिव, पंचायती राज | सदस्य सचिव |
| महानिदेशक/निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) /पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, योजना विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, युवा कल्याण विभाग | सदस्य |
| संयुक्त सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| निदेशक, पंचायती राज | सदस्य |
| अपर/संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को भी नामित किया जा सकता है, जिनकी संख्या 02 से अधिक न हो। | |

**8.22.4 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) : पीएमयू** का विवरण ऊपर पैरा 8.16 में पहले ही लाया जा चुका है।

सशक्त पंचायत सतत विकास

## अध्याय -9

## संशोधित आरजीएसए के तहत स्वीकार्य गतिविधियों के लागत मापदंड

| क्र. सं. | घटक | लागत |
|---|---|---|
| 1. | **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** | |
| 1.1 | संशोधित आरजीएसए के तहत चुने गए प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन यूनिट लागत | |
| 1.1.1 | पदाधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण | रु.2500/- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन |
| 1.1.2 | पदाधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण | रु.1500/- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन |
| 1.1.3 | पदाधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए ब्लॉक स्तर / ग्राम पंचायतों के समूहों पर प्रशिक्षण | रु.1000/- प्रति प्रतिभागी प्रति दिन |
| 1.2 | आरजीएसए- वर्चुअल/ऑनलाइन मोड के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए यूनिट लागत | सभी स्तरों पर रु.5000/- प्रति दिन (प्लेटफॉर्म और उपकरण की खरीद, संसाधन व्यक्ति पारिश्रमिक, सामग्री लागत, संगठनात्मक खर्च, शिक्षण सामग्री का विकास, अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण आदि) |
| 1.3 | शैक्षणिक संस्थानों/सिविल सोसायटी संगठन (सीएसओ)/गैर सरकारी संगठनों (नीति आयोग के एनजीओ दर्पण में पंजीकृत) द्वारा जीपीडीपी | @ 20,000/- प्रति ग्राम पंचायत |

सशक्त पंचायत सतत विकास

| क्र. सं. | घटक | लागत |
|---|---|---|
| | तैयार करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता | |
| 1.4 | प्रशिक्षण की जरूरत का आकलन | प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 2 वर्षों में एक बार 10 लाख रुपये तक |
| 1.5 | पैनल में शामिल एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास | प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 2 वर्षों में एक बार 10 लाख रुपये तक |
| 1.6 | पैनल में शामिल एजेंसी के माध्यम से फिल्मों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास | प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 2 वर्षों में एक बार 20 लाख रुपये तक |
| 1.7 | राज्य के भीतर एक्सपोजर विज़िट | प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 3500/- रुपये तक |
| 1.8 | राज्य के बाहर एक्सपोजर विज़िट | शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 5000/- रुपये तक<br>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 7000/- रुपये तक |
| 1.9 | पंचायत शिक्षण केंद्र (पीएलसी) | प्रति पीएलसी 7 लाख रुपये तक |
| 1.10 | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन | 2 साल में एक बार 10 लाख रुपये तक |
| 1.11 | एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक। | विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्रशिक्षकों की राज्यवार संख्या के आधार पर 5 दिनों तक प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 2500 रुपये |
| 2. | **संस्थागत अवसंरचना** | |
| 2.1 | (क) किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना का प्रावधान | 30/- रुपये प्रति वर्ग फुट (निर्मित क्षेत्र)<br>अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति माह |

| क्र. सं. | घटक | लागत |
|---|---|---|
| | (ख) एसपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और ओ एंड एम पर आवर्ती लागत | प्रति एसपीआरसी प्रति वर्ष 84 लाख रुपये तक |
| 2.2 | (क) नए डीपीआरसी के भवन का निर्माण और बुनियादी उपकरणों का प्रावधान | केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नए डीपीआरसी के लिए 2 करोड़ रुपये तक |
| | (ख) किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान | 25/- रुपये प्रति वर्ग फुट (निर्मित क्षेत्र)<br>अधिकतम रु 50,000/- रुपये प्रति माह |
| | (ग) डीपीआरसी की अतिरिक्त संकाय और रखरखाव पर आवर्ती लागत | प्रति डीपीआरसी प्रति वर्ष 20 लाख रुपये तक |
| 2.3 | (क) किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान | 20/- रुपये प्रति वर्ग फुट (निर्मित क्षेत्र)<br>अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति माह |
| | (ख) अतिरिक्त संकाय और बीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत | 35,000/- रुपये प्रति माह |
| 2.4 | जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती | जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1% |
| 2.5 | ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों को किराए पर लेना | ब्लाक स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1% |
| 3. | **सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा** | |
| 3.1 | राज्य स्तर पर स्टूडियो | कोविड के बाद के परिदृश्य को देखते हुए 1.00 करोड़ रुपये तक, वर्चुअल और ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के |
| 3.2 | सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) | |

| क्र. सं. | घटक | लागत |
|---|---|---|
| 3.3 | सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति | लिए सभी सुविधाओं वाला एक अच्छा स्टूडियो आवश्यक है |
| 3.4 | प्रौद्योगिकी का कोई वैकल्पिक तरीका | 1.5 लाख रुपये प्रति एसआईटी<br>प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए आरजीएसए की सीईसी |
| 4. | **पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन** | |
| 4.1 | नए जीपी भवनों का निर्माण | पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के साथ/और सामुदायिक हॉल के साथ 20 लाख रुपये प्रति जीपी भवन |
| 4.2 | जीपी भवन में सीएससी का सह-स्थापन | पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएससी की सह-स्थापना करने के लिए पंचायत भवन में अतिरिक्त हॉल/कमरे के लिए 5 लाख रुपये |
| 5. | **परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू)** | |
| 5.1 | राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयां (एसपीएमयू) | एसपीएमयू (4 व्यक्ति) 26.40 लाख रुपये प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रति वर्ष की दर से एसपीएमयू, ई-एसपीएमयू और प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और योजना सेल के मौजूदा घटकों को शामिल करते हुए |
| 5.2 | जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (DPMU) | डीपीएमयू (3 व्यक्ति) 10.80 लाख रुपये प्रति जिला प्रति वर्ष की दर से ई-डीएमपीयू के मौजूदा घटकों को शामिल करते हुए |
| 5.3 | ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाइयां (बीपीएमयू) | बीपीएमयू (2 व्यक्ति) 4.80 लाख प्रति ब्लॉक प्रति वर्ष की दर से पीआरआई को तकनीकी सहायता के मौजूदा घटकों को शामिल करते हुए |
| 6. | **पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता** | |

| क्र. सं. | घटक | लागत |
|---|---|---|
| 6.1 | पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक का मानदेय | 60,000/- रुपये प्रति माह प्रति पेसा राज्य (7.20 लाख रुपये प्रति वर्ष) |
| 6.2 | पेसा जिले में एक पेसा समन्वयक का मानदेय | 30,000/- रुपये प्रति माह प्रति जिला (3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष) |
| 6.3 | पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय | 25,000/- रुपये प्रति माह प्रति मध्यवर्ती पंचायत/ब्लॉक (3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष) |
| 6.4 | 1 ग्राम सभा मोबिलाइजर/पेसा जीपी . का मानदेय | 4000/- रुपये प्रति माह प्रति पेसा जीपी (0.48 लाख रुपये प्रति वर्ष) |
| 6.5 | ग्राम सभा अभिविन्यास | प्रति वर्ष 5 जीपी के क्लस्टर के लिए 15,000 रुपये |
| 7. | **ई-सक्षमता** | |
| 7.1 | स्थानीय भाषा में एप्लीकेशन का अनुवाद (एकमुश्त समर्थन) | जैसा कि राज्य के प्रस्ताव के आधार पर सीईसी द्वारा निर्धारित किया गया है |
| 7.2 | कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर (पूर्वोत्तर राज्यों में जीपी को आईटी समर्थन के साथ) | पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के साथ 50,000/- रुपये प्रति जीपी |
| 8. | नवाचार के लिए समर्थन (अभिनव गतिविधियों) | केस टू केस: प्रत्येक मामले में 5 करोड़ रुपये तक |
| 9. | आय विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन | केस टू केस: प्रत्येक मामले में 2-10 करोड़ रुपये तक |
| 10. | आईईसी गतिविधियां | स्वीकृत योजना आकार के 2% तक |
| 11. | कार्यक्रम प्रबंधन | स्वीकृत योजना आकार के 1.5% तक |

***

**अनुलग्नक -I**

**पहले से जारी किए गए परामर्शिकाएं और पत्रों की स्कैन की गई प्रतियां संलग्न की जाएंगी (अनुबंध- I से VI), मुद्रण करते समय, इसे शामिल करने से फ़ाइल का नैतिक आकार बढ़ जाएगा और इसे ई-फाइल पर अपलोड नहीं किया जा सकता है**

**अनुलग्नक -VII**

***कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के तहत कर्मियों की व्यापक / सांकेतिक जिम्मेदारियां***

आरजीएसए की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

***राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)*** : एसपीएमयू का उद्देश्य विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं की नई पहलों और कार्यों को ध्यान में रखते हुए ईआर और पंचायत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए राज्य स्तर पर अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना है। एसपीएमयू का कार्य राज्य के पंचायती राज विभागों की सहायता करना है:

- वार्षिक योजना तैयार करना
- आरजीएसए के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना को लागू करना
- पंचायतों की सामाजिक लामबंदी, लेखांकन और ई-सक्षमता, पंचायतों की निगरानी और प्रोत्साहन आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करना और आरजीएसए एमआईएस, टीएमपी के माध्यम से समय पर रिपोर्टिंग करना।
- एलएसडीजी के लिए विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए संबंधित स्तर पर पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की सहायता के लिए डीपीएमयू/बीपीएमयू को सहायता प्रदान करना।
- ➢ पीआरआई से संबंधित रीयल टाइम डेटा प्रबंधन और एलएसडीजी सहित पीआरआई में विभिन्न गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण को सुव्यवस्थित करना।
- कार्यान्वयन की प्रगति पर समय पर रिपोर्टिंग।
- डीपीएमयू और बीपीएमयू के कामकाज पर नजर रखने के लिए जब भी आवश्यक हो आरजीएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश जारी करें।

## 1. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक

- ➢ योजना के सफल वितरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक जिम्मेदार है।
- ➢ योजना के समग्र कार्यान्वयन का समन्वय और प्रबंधन।

- आरजीएसए मानदंडों के अनुसार आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को समय पर प्रस्तुत करना।
- दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम तैयार करने में पाठ्यक्रम समन्वयक/संकाय की सहायता करना।
- टीएनए कार्यशाला आयोजित करने, पाठ्यक्रम डिजाइन और प्रस्तावित प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायता
- ग्राम स्वराज, आरजीएसए एमआईएस, टीएमपी आदि के माध्यम से नियमित आधार पर एमओपीआर को समय सीमा और रिपोर्टिंग स्थिति के अनुसार डिलिवरेबल्स / एक्शन पॉइंट्स को पूरा करना सुनिश्चित करना ।
- क्रॉस-स्टेट शेयरिंग को बढ़ावा देना
- आवश्यकतानुसार विभिन्न मुद्दों पर बैठकों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- एसडीजी के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के माध्यम से पंचायत संकेतकों और पीआरआई मूल्यांकन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार और परिशोधन।
- अन्य राज्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर संपर्क के लिए जब कभी आवश्यक हो एनपीएमयू को सहायता प्रदान करें ।
- योजना के सुचारू संचालन के लिए जिलों/ब्लॉकों के साथ संपर्क करना।
- सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान और प्रशिक्षण और अन्य माध्यमों से प्रसार।
- समय-समय पर सौंपे गए योजना से संबंधित कोई अन्य कार्य

2. **राज्य समन्वयक (ई-गवर्नेंस)**

- ई-ग्राम स्वराज/ पंचायती राज मंत्रालय के अन्य अनुप्रयोगों और/या राज्य विशिष्ट ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों का रोलआउट (राज्य में उनके गुणात्मक और पूर्ण रूप से अपनाने की सुविधा और सुनिश्चित करना (जैसा कि राज्य पंचायती राज / स्थानीय सरकार विभाग द्वारा तय किया गया है)
    - टीम के अन्य सदस्यों के अनुसरण के लिए पूर्व-निर्धारित टेम्प्लेट और निर्देश रखें।
    - राज्य ई-गवर्नेंस रिसोर्स ग्रुप (एसईजीआरजी) द्वारा नियमित आधार पर की जा रही प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए काम का एक ऑनलाइन भंडार बनाए रखें और समय-सीमा निर्धारित करें।
- जिलों में जिला ई-गवर्नेंस रिसोर्स ग्रुप (डीजीआरजी) और डीआईओ के साथ संपर्क करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मुद्दों और आवश्यकताओं को तकनीकी कर्मियों (एसपीएमयू या राज्य / जिला एनआईसी के भीतर) द्वारा समय पर हल किया जाए या एनपीएमयू / संबंधित टीम लीड को आगे बढ़ाया जाए। समाधान के लिए एन.पी.एम.यू. को प्रतिलिपि के साथ एन.आई.सी.-मुख्यालय में।

सशक्त पंचायत सतत विकास

- अन्य राज्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर संपर्क के लिए जब भी आवश्यक हो एनपीएमयू को सहायता प्रदान करें।
- पीईएस या राज्य विशिष्ट ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर बैठकें, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- सुनिश्चित करें कि सेजीआरजी के उपयुक्त सदस्यों को राज्य में लागू किए जा रहे विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे अन्य के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने में सक्षम हों।
- समय-सीमा के अनुसार डिलिवरेबल्स/एक्शन पॉइंट्स को पूरा करना सुनिश्चित करें और आवश्यकता पड़ने पर ई-ग्रामस्वराज/एमओपीआर/एमआईएस आदि के अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय को स्थिति की रिपोर्ट करें।
- जिला समन्वयकों से राज्य को मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।
- राज्य एनआईसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने योग्य समय-सीमा के साथ प्रत्येक अनुप्रयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।
- राज्यों के संबंधित ई-अनुप्रयोगों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना।
- राज्य में सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना और उनका अनुकरण करना।
- अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करें। राज्य सरकार में अन्य ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के साथ ई-एप्लीकेशन के कार्यान्वयन को संरेखित/सहयोग करना।
- पंचायतों के माध्यम से सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सक्षम करना
- मुद्दों और चुनौतियों को देखते हुए जिला अधिकारियों के परामर्श से ई-गवर्नेंस पर राज्य की कार्य योजना का मसौदा तैयार करना।
- राज्य और केंद्रीय पोर्टलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों की अद्यतन संपर्क सूची को पूरा करना सुनिश्चित करें ।
- मांग के अनुसार ई-गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में एमओपीआर को जानकारी प्रदान करें।
- समय-समय पर सौंपे गए ई-गवर्नेंस से संबंधित कोई अन्य कार्य

### 3. राज्य समन्वयक (एम एंड ई) / वित्तीय सलाहकार

- पंचायतों और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी करना।
- राज्य/केंद्र के विशिष्ट अनुप्रयोगों में डेटा की आवधिक जांच और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आवश्यकता पड़ने पर जिलों और ब्लॉकों को सहायता प्रदान करना।

- पंचायतों के लिए राज्य लेखा प्रक्रियाओं/नियमों, नियमावली, टूलकिट आदि में सुधार की समीक्षा और अंतर्दृष्टि प्रदान करें।
- ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र/राज्य विशिष्ट लेखा आवेदन के कार्यान्वयन में राज्य की सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन।
- ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न लेखांकन प्रथाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- ई-ग्रामस्वराज, प्रियासॉफ्ट, पीएफएमएस आदि के साथ राज्य विशिष्ट लेखा अनुप्रयोगों के अभिसरण/मानचित्रण का आकलन और सहायता करना।
- ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों द्वारा निधियों के सभी स्रोतों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने की दिशा में कदम सुनिश्चित करें
- परियोजना प्रबंधक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

**4. डाटा एंट्री ऑपरेटर/एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक**

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एमआईएस पर वार्षिक कार्य योजना समय पर प्रस्तुत करना।
- राज्य/केन्द्रीय विशिष्ट अनुप्रयोगों में विभिन्न डेटा एकत्र करने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार ।
- विभिन्न अनुप्रयोगों में डेटा दर्ज करने से पहले राज्य समन्वयक की सहायता से डेटा का सत्यापन/समीक्षा।
- राज्य/केन्द्रीय विशिष्ट अनुप्रयोगों में डेटा की आवधिक जांच और वरिष्ठ के निर्देशानुसार आवश्यकतानुसार और अनुवर्ती कार्रवाई करना
- प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रशिक्षण विवरण को नियमित रूप से अद्यतन करना।
- वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

## डीपीएमयू

**1. जिला कार्यक्रम प्रबंधक**

- योजना के सफल वितरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक जिम्मेदार है
- राज्य के समन्वय से जिला स्तर तक योजना का प्रबंधन एवं क्रियान्वयन
- प्रलेखन प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर की जाने वाली अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय पर आयोजन और जिले के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करना और उनके लिए हेल्पडेस्क के रूप में कार्य करना

सशक्त पंचायत सतत विकास

- दिन-प्रतिदिन का कार्यक्रम तैयार करने में पाठ्यक्रम समन्वयक/संकाय की सहायता करेंगे।
- टीएनए कार्यशाला आयोजित करने, पाठ्यक्रम डिजाइन और प्रस्तावित प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करने में सहयोग करेंगे
- आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मुद्दों पर बैठकों, प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करना
- एसडीजी के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के माध्यम से पंचायत संकेतकों और पीआरआई मूल्यांकन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार और परिशोधन
- एलएसडीजी के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला, ब्लॉक और जीपी स्तर पर पंचायत विकास योजना तैयार करने में बीपीएमयू को सहयोग प्रदान करना
- पीआरआई से संबंधित रीयल टाइम डेटा प्रबंधन और एलएसडीजी सहित पीआरआई में विभिन्न गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण को सुव्यवस्थित करना
- कार्यान्वयन की प्रगति पर समय पर रिपोर्टिंग
- आवश्यकता पड़ने पर एसपीएमयू और बीपीएमयू को सहायता प्रदान करना
- सुचारू संचालन के लिए जिलों/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ संपर्क
- सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान और प्रशिक्षण और अन्य माध्यमों से प्रसार
- समय-समय पर सौंपे गए योजना से संबंधित कोई अन्य कार्य

### 2. जिला समन्वयक (ई-गवर्नेंस)/(एम एंड ई)

- ई-ग्राम स्वराज/अन्य ई-अनुप्रयोगों/राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):
  - तकनीकी समस्याओं का निवारण; चर्चा करें और उन्हें सेजीआरजी में हल करें / आगे बढ़ाएं।
  - परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करना
  - ई-ग्राम स्वराज/अन्य ई-अनुप्रयोगों/राज्य विशिष्ट ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के रोलआउट से संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए समय-समय पर बीपी और जीपी (या समकक्ष निकायों) का दौरा करें या अनुप्रयोगों में शामिल होने के लिए नई आवश्यकताओं को इकट्ठा करें और चर्चा करें और उन्हें परामर्श में हल करें या शामिल करें। राज्य तकनीकी सलाहकार के साथ परामर्श
- जीपी/बीपी की निश्चित अंतराल पर नियमित बैठकों की योजना बनाएं
- डीआईओ/डीआईए, से जीआरजी के साथ समन्वय करें और सीईओ (जेडपी)/डीपीआरओ को रिपोर्ट करना।

- जिले के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण आयोजित करना और सहायता प्रदान करना और उनके लिए हेल्पडेस्क के रूप में कार्य करना।
- जिले के तहत स्थानीय निकायों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के चालू होने की निगरानी करना
- जिले के लिए प्रशिक्षक बनने के लिए ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्राप्त करें;
  - तकनीकी मुद्दों के समाधान/कम करने के लिए नोडल व्यक्ति के रूप में कार्य करना
  - परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सेजीआरजी/राज्य नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी के साथ संपर्क करना
- मनरेगा/एसबीएम/एनएसएपी आदि जैसे सीएसएस से निपटने वाले आईटी पेशेवरों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- समय-समय पर सौंपे गए ई-गवर्नेंस से संबंधित कोई अन्य कार्य

### 3. डाटा एंट्री ऑपरेटर/एमआईएस विशेषज्ञ/डेटा इंजीनियर/विश्लेषक

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एमआईएस पर वार्षिक कार्य योजना समय पर प्रस्तुत करना
- राज्य/केन्द्रीय विशिष्ट अनुप्रयोगों में विभिन्न डेटा एकत्र करने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार
- विभिन्न अनुप्रयोगों में डेटा दर्ज करने से पहले जिला समन्वयक की सहायता से डेटा का सत्यापन/समीक्षा
- राज्य/केन्द्रीय विशिष्ट अनुप्रयोगों में डेटा की आवधिक जांच और वरिष्ठ के निर्देशानुसार आवश्यकतानुसार और अनुवर्ती कार्रवाई करना
- प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रशिक्षण विवरण को नियमित रूप से अद्यतन करना
- वरिष्ठों द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

सशक्त पंचायत सतत विकास

## बीपीएमयू

1. **ब्लॉक समन्वयक**

- प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन एवं सहायता प्रदान करना तथा हेल्पडेस्क के रूप में कार्य करना
- पंचायतों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी करना
- सूचना के अद्यतनीकरण के लिए जिलों को समय-समय पर जाँच और डेटा प्रस्तुत करना
- एलएसडीजी के लिए विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए ब्लॉक और जीपी स्तर पर पंचायत विकास योजना तैयार करने में ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करना
- पीआरआई से संबंधित रीयल टाइम डेटा प्रबंधन और एलएसडीजी सहित पीआरआई में विभिन्न गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में पीआरआई के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण को सुव्यवस्थित करना
- कार्यान्वयन की प्रगति पर समय पर रिपोर्टिंग
- आवश्यकता पड़ने पर राज्य/जिला पीएमयू को सहायता प्रदान करना
- सुचारू संचालन के लिए जिलों/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ संपर्क
- पंचायतों के लिए राज्य लेखा प्रक्रियाओं/नियमों, नियमावली, टूलकिट आदि में सुधार की समीक्षा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना
- ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों द्वारा निधियों के सभी स्रोतों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने की दिशा में कदम सुनिश्चित करें
- परियोजना प्रबंधक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य

2. **खाता एवं प्रशासनिक सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर/एमआईएस विशेषज्ञ/डाटा इंजीनियर/विश्लेषक**

- पंचायतों के लिए राज्य लेखा प्रक्रियाओं/नियमों, नियमावली, टूलकिट आदि में सुधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना
- ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केंद्र/राज्य विशिष्ट लेखा आवेदन के कार्यान्वयन में राज्य/जिले की सहायता और समर्थन करना
- ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित विभिन्न लेखांकन प्रथाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करना

- ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों द्वारा निधियों के सभी स्रोतों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने की दिशा में कदम सुनिश्चित करना
- नियमित कार्यालय पत्राचार और अन्य गतिविधियों का प्रबंधन और निपटान
- ब्लॉक स्तर पर डेटा की आवधिक जांच और राज्य/जिला के साथ साझा करना
- प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी
- प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रशिक्षण विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना
- आवश्यक रसद प्रबंधन
- राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ समन्वय
- बैठकों और कार्यशालाओं के प्रतिभागियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना
- वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई योजना से संबंधित किसी अन्य कार्य को समय पर पूरा करना

***